

# 29<sup>वाँ</sup> वार्षिक प्रतिवेदन Annual Report

## 2019-20



राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ  
National Academy of Ayurveda

Dhanvantari Bhavan, Road No.66, Punjabi Bagh (West), NEW DELHI - 110 026.

Phone: 011-25229753; 25228548; Fax: 011-25229753

E-mail: ravidyapeethdelhi@gmail.com Website : www.ravdelhi.nic.in



राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ  
(भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

National Academy of Ayurveda

An Autonomous organization under Ministry of AYUSH, Govt. of India

# राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ National Academy of Ayurveda



## 29 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन Annual Report 2019-20

(भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन)  
(An autonomous organization under Ministry of AYUSH, Govt. of India)

---

धन्वन्तरि भवन, मार्ग संख्या 66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली – 110026  
Dhanwantari Bhawan, Road No. 66, Punjabi Bagh (West), New Delhi - 110026





## विषय-सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	iii
1.	प्रस्तावना	1
2.	विद्यापीठ के उद्देश्य	1
3.	समितियां	2
	(i) शासी निकाय	2
	(ii) स्थायी वित्त समिति	4
4.	विद्यापीठ के कार्य	5
	(i) गुरु शिष्य परम्परा	6
	(ii) दीक्षान्त समारोह	13
	(iii) अध्येतावृत्ति पुरस्कार एवं जीवन पर्यन्त उपलब्धियाँ (लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार)	13
	(iv) सम्मेलन/संगोष्ठियां	14
	(v) सम्भाषा कार्यशालाएं	15
	(vi) संहिता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम	16
	(vii) चरक आयतनम (6-दिनों का कार्यक्रम)	17
	(viii) प्रकाशन	17
5.	तकनीकी रिपोर्ट (वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित क्रियाकलाप)	17
	(i) बैठकें	17
	(ii) गुरु शिष्य परम्परा के पाठ्यक्रम	21
	(iii) संहिता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम	33
	(iv) पुस्तकों का प्रकाशन/बिक्री	34





	(v) अन्य क्रियाकलाप	34
6.	बजट और खर्च	37
7.	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	38
8.	लेखे	42
	(i) 31 मार्च, 2020 तक का तुलनपत्र	42
	(ii) 31 मार्च, 2020 तक के आय एवं व्यय लेखे	43
	(iii) 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूचियाँ	44
	(iv) 31 मार्च, 2020 तक प्राप्तियों एवं भुगतान के लेखे	56
	(v) 31 मार्च, 2020 तक अंशदायी भविष्य निधि की प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे, आय एवं व्यय लेखे तथा तुलनपत्र	58
	(vi) महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	60
	(vii) आकस्मिक देयताएं और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियाँ	61



## प्राक्कथन

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आर.ए.वी.), भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संगठन है, जिसे शिक्षा की प्राचीन गुरुकुल पद्धति के माध्यम से आयुर्वेद के परम्परागत कर्माभ्यास और ग्रन्थों (मूलपाठ) के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से वर्ष 1988 में स्थापित किया गया था। यहां लक्षित शिक्षार्थी आयुर्वेद के ऐसे नए स्नातक और स्नातकोत्तर होते हैं, जो परम्परागत आयुर्वेदिक कर्माभ्यास और सिद्धान्तों में स्वयं को अधिक दक्ष बनाने में रुचि रखते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का सदस्य पाठ्यक्रम (एम.आर.ए.वी.) एवं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) दो ऐसे पाठ्यक्रम हैं, जिन्हें राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा आयुर्वेदिक शिष्यों को परम्परागत कर्माभ्यास एवं ग्रन्थ संबंधी ज्ञान में और अधिक निपुण बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रारम्भ किया गया है। अब तक लगभग 1061 एवं 71 शिष्यों ने क्रमशः रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) और रा.आ.वि. का सदस्य पाठ्यक्रम (एम.आर.ए.वी.) पूर्ण कर लिया है। सत्र 2019-20, 138 शिष्यों को 57 गुरुजनों के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूरे देश में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा सूचीबद्ध विद्वानों के मार्गदर्शन में सभी शिष्य आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में कर्माभ्यास का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रोगी की जांच एवं तदंतर उपचार में प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धतियों का कम उपयोग किया जा रहा है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने इस अन्तराल को महसूस करने के बाद परम्परागत नैदानिक पद्धतियों से रोगों का आयुर्वेदिक उपचार करने की कला में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में उन युवा संकायों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो चिकित्सा विषयों से संबंध रखते हैं ताकि वे अपने चिकित्सा कर्माभ्यास में प्रयोग करने के लिए ऐसी प्रणालियों में दक्ष हो जाएं। सत्र 2019-20 तक देश में विभिन्न स्थानों पर ऐसे 19 नैदानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान विद्यापीठ ने 23वीं दीक्षान्त समारोह के साथ अपने दो दिनों के राष्ट्रीय संगोष्ठी की नियमित गतिविधि के साथ मनाया। इस अवसर पर माननीय आयुष मंत्री (आईसी) श्री श्रीपद यसो नाइक और वैद्य राजेश



कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय उपस्थित थे। इस साल, संगोष्ठी 'दीर्घायु के लिए आयुर्वेद' पर आयोजित किया गया था। संगोष्ठी में आयुर्वेद के कई प्रतिष्ठित अधिकारियों ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम को आयुर्वेद के प्रतिष्ठित विद्वानों और आयुर्वेद के शोध विद्वानों द्वारा शोध पत्र प्रस्तुति द्वारा विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण मुख्य विचारों द्वारा चिह्नित किया गया था। संगोष्ठी में 02 पोस्टर प्रस्तुतियों के साथ लगभग 17 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। इस अवसर पर सभी 19 पत्रों का पूरा पाठ वाला स्मारिका भी जारी किया गया था।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ सतत चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई.) के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना हेतु प्रधान संस्था (नोडल एजेंसी) के रूप में भी कार्य करता है। सी.एम.ई. के प्रस्तावों की समीक्षा के बाद वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 54 सी.एम.ई को मूर्त रूप दिया गया है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आयुर्वेद प्रशिक्षण देने के अपने विभिन्न क्रियाकलापों को सुदृढ़ बनाने के लिए कई नए तंत्र भी विकसित कर रहा है। यह मौजूदा प्रणाली में लगातार त्रुटियां ढूँढ रहा है और इन त्रुटियों के समाधान के तरीके ढूँढ रहा है। विभिन्न प्रतिपुष्टियों एवं मध्यावधि मूल्यांकन तंत्रों के जरिए रा.आ.वि. के कार्यकलापों की नियमित निगरानी भी की जा रही है। रा.आ.वि. अपने क्षेत्र में विशिष्ट बनने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। यह आयुर्वेद कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्टता के समर्पित केन्द्र के रूप में उभरने के लिए प्रयत्नशील है। रा.आ.वि. इस दिशा में कई नई पहल कर रहा है जिनके भविष्य में फलीभूत होने की आशा है। विद्यापीठ के क्रिया-कलापों एवं उपलब्धियों पर वर्ष 2019-20 का वार्षिक प्रतिवेदन, इसके लेखापरीक्षा संबंधी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत किया जा रहा है।

(डॉ. अनुपम श्रीवास्तव)  
निदेशक



## प्रस्तावना

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त-पोषित है। इसका पंजीकरण सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, सोसाइटी, दिल्ली प्रशासन में 11 फरवरी, 1988 को हुआ है। इसने वर्ष 1991 से धन्वन्तरि भवन, मार्ग संख्या-66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-110 026 में कार्य करना प्रारम्भ किया।

इस विद्यापीठ की स्थापना प्रख्यात आयुर्वेदिक विद्वानों एवं कर्माभ्यासियों के आयुर्वेदिक ज्ञान को संरक्षित रखने और उसे शिक्षा एवं ज्ञान अन्तरण की भारतीय परम्परागत गुरु शिष्य प्रणाली के जरिए युवा पीढ़ी को अन्तरित करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य आयुर्वेदिक प्राचीन ग्रन्थों एवं चिकित्सालयी (नैदानिक) कर्माभ्यासों में नई पीढ़ी के आयुर्वेदिक विद्वानों को कुशल बनाना है।

## 2. विद्यापीठ के उद्देश्य :

1. आयुर्वेद के ज्ञान को बढ़ाना।
2. आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में निरन्तर शिक्षा के लिए योजनाएं बनाना तथा इस प्रयोजन से परीक्षाएं आयोजित करना।
3. सफल अभ्यर्थियों को यथोचित मान्यता प्रदान करना।
4. आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में योग्यता को मान्यता प्रदान करना एवं बढ़ावा देना।
5. आयुर्वेद में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के शैक्षणिक कार्य करना।
6. आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियां आयोजित करना।
7. आयुर्वेदिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक संस्थाओं, समितियों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के साथ सम्पर्क बनाए रखना।
8. आयुर्वेद का संवर्धन करना और आयुर्वेद में निरन्तर शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए निधियां एवं धर्मदाय प्राप्त करना और उनका प्रबन्ध करना।





9. आयुर्वेदिक शिक्षा की नई प्रणालियों पर परीक्षण करना ताकि शिक्षा के सन्तोषजनक स्तर पर पहुँचा जा सके ।
10. विद्यापीठ के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आचार्य पद, अन्य संकाय स्तर की अध्येतावृत्ति (फेलोशिप), अनुसंधान संवर्ग पद एवं छात्रवृत्ति आदि प्रारम्भ करना, इत्यादि ।

### **3. समितियां :**

#### **3.1 शासी निकाय**

संस्था के बर्हिनीयम व भारत सरकार के आदेशानुसार, विद्यापीठ के कार्यों का प्रबन्धन इसके शासी निकाय द्वारा किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष सहित 16 सदस्य होते हैं। भारत सरकार द्वारा शासी निकाय का पुनर्गठन पाँच (5) वर्षों के लिए 20 फरवरी, 2019 को निम्नानुसार किया गया था :-

#### **शासी निकाय के अध्यक्ष**

1. 'पद्म भूषण' वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा,  
30, सुखदेव विहार,  
नई दिल्ली-110 025

#### **भारत सरकार द्वारा नामित व्यक्ति (पदेन सदस्य)**

2. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार,  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,  
नई दिल्ली
3. अपर सचिव (आयुष),  
आयुष मंत्रालय,  
नई दिल्ली
4. सलाहकार (आयुर्वेद),  
आयुष मंत्रालय,  
नई दिल्ली



5. **कुलपति,**  
गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय,  
जामनगर (गुजरात)

**भारत सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ**

6. **वैद्य प्रमोद पी. सावंत,**  
माननीय मुख्य मंत्री,  
सिविल सचिवालय,  
पणजी (गोवा)
7. **डॉ. के.के. अग्रवाल,**  
जयपुर (राजस्थान)
8. **डॉ. सुभाष रानाडे,**  
पुणे (महाराष्ट्र)
9. **डॉ. वर्षा देशपांडे,**  
कराड (महाराष्ट्र)
10. **डॉ. राजेश गुप्ता,**  
सावंतवाडी (महाराष्ट्र)

**अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन (ए.आई.ए.सी.) द्वारा  
मनोनीत सदस्य**

11. **डॉ. राकेश शर्मा,**  
चंडीगढ़ (पंजाब)
12. **वैद्य दीनानाथ उपाध्याय,**  
पुणे (महाराष्ट्र)
13. **वैद्य गोविंद प्रसाद उपाध्याय,**  
नागपुर (महाराष्ट्र)



### राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के रत्न-सदस्यों (फेलो) में से एक सदस्य

14. वैद्य सदानंद पी. सदेशमुख,  
पुणे (महाराष्ट्र)

### राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के पूर्व शिष्यों में से एक सदस्य

15. डॉ. मोहन लाल जायसवाल,  
जयपुर (राजस्थान)

### सदस्य सचिव

16. निदेशक, रा.आ.वि.

### **3.2. स्थायी वित्त समिति**

आयुष मंत्रालय ने दिनांक 20 जनवरी, 2019 को 5 वर्ष के लिए स्थायी वित्त समिति (एस.एफ.सी.) का पुनर्गठन किया था, जिसकी कार्यावधि वर्तमान शासी निकाय के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जायेगी। स्थायी वित्त समिति की संरचना निम्न प्रकार है:-

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1. | अपर सचिव (आयुष),<br>आयुष मंत्रालय,<br>आयुष भवन,<br>'बी' ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,<br>आई. एन. ए.,<br>नई दिल्ली-110 023         | अध्यक्ष (पदेन सदस्य) |
| 2. | अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार<br>अथवा उनके प्रतिनिधि,<br>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,<br>निर्माण भवन,<br>नई दिल्ली-110 011 | सदस्य (पदेन सदस्य)   |



3. **सलाहकार (आयुर्वेद), अथवा** **सदस्य (पदेन सदस्य)**  
**संयुक्त सलाहकार (आयुर्वेद), अथवा**  
**उप-सलाहकार,**  
आयुष मंत्रालय,  
आयुष भवन, 'बी' ब्लॉक,  
जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए.,  
नई दिल्ली-110 023
4. **वैद्य दीनानाथ उपाध्याय,** **सदस्य (नामांकित)**  
(विशेषज्ञों से शारी निकाय के सदस्य)  
पुणे (महाराष्ट्र)
5. **डॉ. वर्षा देशपांडे,** **सदस्य (नामांकित)**  
(विशेषज्ञों से शारी निकाय के सदस्य)  
कराड (महाराष्ट्र)
6. **निदेशक,** **सदस्य सचिव**  
राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

#### 4. विद्यापीठ के कार्य

विद्यापीठ अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए 'गुरु शिष्य परम्परा' के अधीन 'रा.आ.वि. का सदस्य' एवं 'रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र' नामक दो प्रकार के पाठ्यक्रम चलाता है। इन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए यह विद्यापीठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वानों एवं वैद्यों को गुरु के रूप में सूचीबद्ध करता है और इन पाठ्यक्रमों के लिए आयुर्वेद की अपेक्षित औपचारिक अर्हताएं रखने वाले शिष्यों को इसके लिए चयन करता है। इसके अतिरिक्त, यह विद्यापीठ संगोष्ठी/परिसंवाद/कार्यशालाएं आयोजित करने, साहित्य का प्रकाशन करने और आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वानों को मान्यता देने/अभिनन्दन प्रदान करने का कार्य भी करता है।





## 4.1 गुरु शिष्य परम्परा

‘गुरु शिष्य परम्परा’ शिक्षा की परम्परागत आवासीय प्रणाली है, जिसमें शिष्य अपने गुरु के निवास स्थान के पास में ही रहता है और गुरु के नियमित चिकित्सकीय कार्य में उनके साथ रहकर एकैक शिक्षा प्राप्त करता है। गुरुकुल के विलुप्त होने के साथ ही यह प्रणाली भी समाप्त हो गई थी। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने महसूस किया कि आयुर्वेद में ज्ञानान्तरण की यह प्रणाली अभी भी बहुत प्रभावी है। अतः यह विद्यापीठ अपने पाठ्यक्रमों के माध्यम से इस प्रणाली को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है।

शिक्षा प्राप्त करने के संस्थागत रूप में संहिताओं (आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों) का केवल प्रासंगिक भाग ही पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इसके विपरीत, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के ‘गुरु शिष्य परम्परा’ कार्यक्रम में शिष्यों के लिए चुनी गई संहिता और उसकी टीका का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण ग्रन्थ के अध्ययन की व्यवस्था की गई है और उन्हें आयुर्वेदिक कर्माभ्यास के पारम्परिक कौशलों के बारे में भी बताया जाता है। अध्ययन की अवधि के दौरान शिष्यों को गुरुजनों से परस्पर बातचीत करने तथा रोगियों, जड़ी-बूटियों अथवा औषधि तैयार करने की विधि को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए पर्याप्त समय मिलता है।

### 4.1.1 पाठ्यक्रम

**(क) आचार्य गुरु शिष्य परम्परा** (रा.आ.वि. का द्विवर्षीय सदस्य पाठ्यक्रम) (एम.आर.ए.वी.)

यह भागीदारों को आयुर्वेदिक संहिताओं और उन पर टीकाओं का ज्ञान प्रदान करने के लिए साहित्यिक अनुसंधान पर आधारित एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद संहिताओं में अच्छे शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता और विशेषज्ञ तैयार करना है। शिष्य अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की विशेषज्ञता से सम्बन्धित संहिता का गुरु के मार्ग दर्शन में 2 वर्ष तक अध्ययन करता है। विद्यापीठ ने इस पाठ्यक्रम का प्रारम्भ वर्ष 1992 में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले वैद्यों को आयुर्वेदीय प्राचीन ग्रन्थों में विशेषज्ञ बनाने के उद्देश्य से की थी।



समुचित सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक ज्ञान रखने वाले तथा संस्कृत को अच्छी तरह समझने वाले अभ्यर्थियों को इस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। पाठ्यक्रम के अन्त में शिष्यों से एक शोध प्रबन्ध जमा करने की अपेक्षा की जाती है जिसे शिष्यों का योगदान माना जाता है। यद्यपि शिष्य अपने गुरु के कुशल मार्गदर्शन में सम्पूर्ण (ग्रन्थ) का अध्ययन करता है परन्तु वह विद्यापीठ द्वारा सम्बन्धित गुरु के साथ परामर्श करने के बाद दिए गए सुझाव के अनुसार ही निर्धारित अध्यायों/ शीर्षकों पर शोध प्रबन्ध लिखता है ताकि एक समान कार्य की पुनरावृत्ति न हो जाये।

**(ख) चिकित्सक गुरु शिष्य परम्परा** (रा.आ.वि. का एक वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम) (सी.आर.ए.वी.)

यह पाठ्यक्रम फरवरी, 1999 से प्रारम्भ किया गया था। इस पाठ्यक्रम की अवधि आयुर्वेदिक स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों के लिए एक वर्ष की है। इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) या समतुल्य उपाधि/आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों को विख्यात चिकित्सक गुरु के रूप में सूचीबद्ध कर्माभ्यासरत वैद्यों के अधीन प्रशिक्षण हेतु चुना जाता है। अध्ययन अवधि के दौरान, शिष्य आयुर्वेदिक प्रणाली से संबंधित नाड़ी परीक्षा, औषध निर्माण, क्षार-सूत्र, पंचकर्म, रोगों का उपचार, नेत्र चिकित्सा, अस्थिचिकित्सा इत्यादि प्रक्रियाओं को सीखते हैं। प्रशिक्षुओं से प्रत्येक महीने उनके अध्ययन के अन्तर्गत आने वाले रोगियों का रिकार्ड तैयार करने और बाद में इन रिकार्डों को रा.आ.वि. में जमा करने की अपेक्षा की जाती है। शिष्यों द्वारा किया गया कार्य जैसे-रोगीवृत्त, मासिक अध्ययन रिपोर्ट इत्यादि की राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में जांच की जाती है। शिष्यों को उनके गुरुजनों के माध्यम से सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं।

**4.1.2 गुरुजन**

**(क) रा.आ.वि. के सदस्य (एम.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम के गुरु :**

निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करने वाले विद्वानों को गुरु के रूप में नियुक्त किया जाता है:



वह व्यक्ति, रा.आ.वि. का सदस्य (एम.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम के गुरु के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र है, जो आयुर्वेद का सेवानिवृत्त आचार्य (प्रोफेसर) हो, जिसने स्नातकोत्तर (पी.जी.) या विद्या वाचस्पति (पीएच.डी.) उपाधि ग्रहण करने के साथ अच्छा प्रकाशित मान्यता प्राप्त अनुसन्धान कार्य किया हो और जिसे शैक्षणिक कार्य का उत्कृष्ट अनुभव हो या जो आयुर्वेद अनुसन्धान संस्था का सेवानिवृत्त निदेशक या आयुर्वेद में विख्यात अन्य कोई व्यक्ति हो, जो राज्य, केन्द्र/स्वायत्त संगठन एवं अन्य ख्याति प्राप्त कार्यालय में विभागाध्यक्ष के पद पर हो और व्यापक ज्ञान के साथ समुचित शैक्षणिक अनुभव रखता हो अथवा आयुर्वेद में कोई विशेषज्ञता रखता हो या आयुर्वेद का प्रख्यात विद्वान हो।

गुरु को 60 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए और संस्कृत एवं आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में निपुण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके पास विशेष ज्ञान एवं दक्षता होना आवश्यक है, ताकि चयन को न्यायोचित ठहराया जा सके। द्रव्यगुण, रस-शास्त्र, भैषज्य कल्पना और अन्य नैदानिक विषयों में गुरु के पास प्रदर्शन के लिए बुनियादी सुविधा होनी चाहिए अथवा आस-पास ऐसी सुविधा/संस्था तक पहुँच होनी चाहिए।

**(ख). राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम  
(सी.आर.ए.वी.) के लिए गुरु :**

**गुरुजनों के लिए पात्रता मानदण्ड (सी.आर.ए.वी.)**

सी.आर.ए.वी. गुरुजनों के चयन के लिए निम्नलिखित दो पात्रता मानदण्डों को अपनाया गया है :-

1. वैयक्तिक गुरुजनों के लिए मानदण्ड।
2. संस्थागत गुरुजनों के लिए मानदण्ड।

**1. वैयक्तिक गुरुजनों के लिए मानदण्ड**

- I. भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिशद् (आई.एम.सी.सी.) अधिनियम 1970 की धारा 17 के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा की किसी राज्य पंजिका में नामांकित आयुर्वेद के चिकित्सक।
- II. आयु 50 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।





- III. मुख्यतः प्राचीन औषधियों में विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधालयी कर्माभ्यास का न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले और आयुर्वेद के किसी अन्य विषय में स्वयं आयुर्वेदिक कर्माभ्यास वाले कर्माभ्यासी।
- IV. कर्माभ्यासी को किसी आयुर्वेदिक महाविद्यालय या उससे संबद्ध चिकित्सालयों अथवा किसी अन्य चिकित्सालय में मानार्थ आधार को छोड़कर नियमित आधार पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- V. सीआरएवी गुरु बनने के इच्छुक आयुर्वेदिक कर्माभ्यासी के बहिरंग विभाग (ओ.पी.डी.) में न्यूनतम 25 रोगी प्रतिदिन होने चाहिए।
- VI. शल्य चिकित्सा कर्माभ्यास के मामले में वैद्यों को कम से कम 15 बहिरंग विभाग (ओ.पी.डी.) के रोगियों को देखने के अतिरिक्त प्रतिदिन 5 शल्य क्रियाएं करनी भी आवश्यक हैं।
- VII. आयुर्वेद फार्मसी के मामले में वैद्य के पास स्वयं की फार्मसी होनी चाहिए और आयुर्वेदिक औषधियों को तैयार करने के सूत्रों का कम से कम 20 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
- VIII. युवा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने और उन्हें व्यावहारिक ज्ञान का प्रशिक्षण देने एवं अपने कौशल एवं दक्षताओं को बिना किसी आपत्ति के बताने के इच्छुक हों।
- IX. इस श्रेणी के अन्तर्गत गुरुजनों को 2 शिष्य तक दिये जा सकते हैं। अगर उनके पास 10 शय्याओं और उससे अधिक की अन्तरंग विभाग (आई.पी.डी.) की सुविधा है तो उन्हें 4 शिष्य तक दिये जा सकते हैं।

**2. संस्थागत गुरुजनों (संस्थागत प्रशिक्षण केन्द्र) के लिए मानदण्ड :**

- क. आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया उत्कृष्ट केन्द्र।
- ख. न्यूनतम 50 शय्याओं और प्रतिदिन बहिरंग विभाग में 200 रोगियों वाला आयुर्वेदिक चिकित्सालय।
- ग. चिकित्सालय कम से कम 10 वर्ष से कार्य कर रहा हो। तथापि, जिस गुरु को प्रशिक्षण प्रभारी के रूप में नामित किया गया हो, उसे न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।



- घ. उस संस्था की विशुद्ध आयुर्वेदिक उपचार के लिए पहचान होनी चाहिए और वहाँ पर कोई एकीकृत कर्माभ्यास नहीं होना चाहिए।
- ङ. ऐसी संस्था को 8 शिष्य तक दिये जा सकते हैं और मुख्य चिकित्सक/संस्था का चिकित्सक और/अथवा अन्य वरिष्ठ चिकित्सक शिष्यों के प्रशिक्षण प्रभारी होंगे।

**(ग). सूचीबद्ध करना :**

किसी भी पाठ्यक्रम के लिए गुरु का चयन शासी निकाय के अध्यक्ष या शासी निकाय द्वारा नामित विशेषज्ञों की एक जांच-समिति (सर्च कमेटी) द्वारा किया जाता है। समिति विद्वानों और वैद्यों के जीवन-वृत्तों की जांच करती है और उनकी क्षमता पर समुचित विचार-विमर्श करने के बाद गुरु का चयन किया जाता है और शासी निकाय से उनको सूचीबद्ध करने के लिए संस्तुति की जाती है। शासी निकाय के अनुमोदन पश्चात्, गुरुपद एवं रा.आ.वि. के नियमों के अनुपालन के लिए उनकी इच्छा जानने तथा उनके पास प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में पता लगाने के उपरान्त, जब कभी भी रिक्त स्थान होता है तो उनके पास सूचीबद्ध करने के संबंध में पत्र भेजा जाता है। गुरु का चयन पूर्णतया अस्थायी आधार पर, सामान्यतः एक पाठ्यक्रम अवधि के लिए अर्थात् राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए एक वर्ष के लिए तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के सदस्य पाठ्यक्रम के लिए दो वर्ष के लिए होता है। शासी निकाय या शासी निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा गुरु के कार्य की समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है तो उनकी कार्यावधि बढ़ाई जाती है। गुरु के पास कोई शिष्य नहीं होने या उनके अधीन सभी शिष्यों द्वारा अपना पाठ्यक्रम अध्ययन की अवधि पूर्ण कर लिए जाने पर, उनकी नियुक्ति पूर्ण मानी जाती है।

**4.1.3 शिष्य**

सी.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदनपत्र आमंत्रित करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है।



सीआरएवी पाठ्यक्रम में आयुर्वेद में आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) अथवा समकक्ष उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पूर्वस्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष और स्नातकोत्तर उपाधि धारकों के लिए 32 वर्ष है। सरकार द्वारा विधिवत रूप से प्रायोजित स्थायी रूप से नियुक्त वैद्यों (डाक्टरों) को आयु सीमा में 35 वर्ष तक की छूट दी जाती है। अभ्यर्थियों की अर्हताएं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सी.सी.आई.एम.) द्वारा मान्यता प्राप्त होनी आवश्यक हैं।

प्राप्त आवेदनपत्रों की जांच करने के बाद, पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित लिखित परीक्षा में, चिकित्सा विषयों पर विशेष बल देते हुए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम की विवरणिका में दिये गए विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया जाता है। शिष्य के चयन में, शिष्य की चयन परीक्षा में श्रेष्ठता और विषय/गुरु की प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाता है। सी.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम में चिकित्सा अधिकारियों को वरीयता दी जाती है।

चुने गए अभ्यर्थियों को इस आशय का एक बन्धपत्र (बाण्ड पेपर) जमा करना होता है कि यदि शिष्य बीच में पाठ्यक्रम छोड़ देता है या उस शिष्य को विद्यापीठ के नियमों का उल्लंघन करने पर निष्कासित किया जाता है, तो उस शिष्य को विद्यापीठ से ली गई सम्पूर्ण शिक्षावृत्ति 12 प्रतिशत ब्याज सहित विद्यापीठ को लौटानी होती है। समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद, शिष्यों को, देश के विभिन्न भागों में स्थित सम्बन्धित गुरुजनों के संरक्षण में प्रशिक्षण हेतु भेज दिया जाता है।

#### **4.1.4 मानदेय एवं शिक्षावृत्ति**

प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक महीने गुरुजनों को मानदेय व शिष्यों को शिक्षावृत्ति का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक गुरु को प्रशिक्षण देने के लिए 2 से 4 तक शिष्य दिये जाते हैं। गुरुजनों का मानदेय केवल 15820/-रुपये तथा समय-समय पर लागू महंगाई भत्ता एवं दो शिष्यों तक 5000/-रुपये है। यदि किसी गुरु के पास दो से अधिक शिष्य होते हैं तो उन्हें 2000/-रुपये प्रति शिष्य की दर से अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा। इसी प्रकार सी.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के शिष्यों के लिए शिक्षावृत्ति केवल 15820/-रुपये





एवं समय-समय पर लागू महंगाई भत्ता है। एम.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के लिए केवल 15820/-रुपये एवं समय-समय पर लागू महंगाई भत्ता एवं इसके अतिरिक्त 2500/-रुपये की शिक्षावृत्ति है।

#### 4.1.5. परीक्षा

**एम.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम** के लिए दो वर्ष के अन्त में शिष्यों की अन्तिम परीक्षा तीन भागों में आयोजित की जाती है:-

- (क) शिष्य द्वारा तैयार शोधप्रबन्ध का मूल्यांकन
- (ख) तीन घंटे की लिखित परीक्षा
- (ग) मौखिक परीक्षा

अनुमोदन/अस्वीकरण के आधार पर शोधप्रबन्ध का मूल्यांकन किया जाता है। शोधप्रबन्ध के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् शिष्य की लिखित एवं मौखिक परीक्षा ली जाती है। परीक्षा के तीनों भागों में से प्रत्येक में संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने पर शिष्य को 'रा.आ.वि. का सदस्य पाठ्यक्रम' का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए उसका अध्ययन सफलतापूर्वक पूरा होने की घोषणा की जाती है।

**सी.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम** के अन्तर्गत शिष्य अपने अध्ययन के अन्त में सीखे गए विषय की उल्लेखनीय बातों अर्थात् विशेष रोगों का उपचार, औषधियों एवं विशिष्ट प्रकरणों का सारांश देते हुए एक मोनोग्राफ तैयार करता है जो 25 पृष्ठों से अधिक नहीं होता और वह परीक्षा से एक माह पूर्व इसे विद्यापीठ को भेजता है। शिष्यों से अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान देखे गए कुछ रुचिकर मामलों पर विशेष केस रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा जाता है। परीक्षा दो भागों में होती है:-

- (क) तीन घंटों की लिखित परीक्षा
- (ख) मौखिक परीक्षा।

लिखित व मौखिक परीक्षा के लिए मोनोग्राफ, केस रिपोर्ट और मासिक रिकार्ड शीटें आधार बनती हैं। शिष्य के प्रशिक्षण अवधि के लिए उसके गुरु से शिष्य के आन्तरिक मूल्यांकन के लिए भी कहा जाता है। लिखित व मौखिक परीक्षा में अलग-अलग संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने वाले सफल अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। असफल अभ्यर्थियों को तीन माह की अवधि



के लिए उनके गुरु के पास पुनः भेजा जाता है। इस अवधि के बाद उनसे पुनः परीक्षा देने की अपेक्षा की जाती है। गुरु के पास अतिरिक्त समय तक रहने के लिए कोई शिक्षावृत्ति नहीं दी जाती है।

उत्तीर्ण शिष्यों को दीक्षान्त समारोह में प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं।

#### **4.1.6. उपलब्धियां**

अभी तक एम.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के 71 शिष्यों एवं सी.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के 1061 शिष्यों अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं।

#### **4.2. दीक्षान्त समारोह :**

विद्यापीठ सफल अभ्यर्थियों को यथोचित मान्यता प्रदान करने तथा आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में योग्य अभ्यर्थियों को मान्यता प्रदान करने एवं प्रोत्साहन देने जैसे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तीर्ण शिष्यों को प्रमाणपत्र प्रदान करने और विख्यात विद्वानों एवं वैद्यों को आयुर्वेद की प्रगति हेतु उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की अध्येतावृत्ति से सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष दीक्षान्त समारोह का आयोजन करता है।

#### **4.3. अध्येतावृत्ति सम्मान (फेलोशिप) :**

विद्यापीठ अपने उद्देश्यों में से एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वानों और विभिन्न पारम्परिक आयुर्वेदिक कर्माभ्यासियों को उनकी विद्वत विशेषज्ञता और शिक्षा, अनुसन्धान, रोगी की देखभाल और/अथवा साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) प्रदान करता है। यह एक मानद सम्मान है, जिसमें प्रत्येक रत्नसदस्य का राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के दीक्षान्त समारोह में एक प्रशस्तिपत्र द्वारा अभिनन्दन किया जाता है और एक शॉल व एक कलश/स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष शासी निकाय द्वारा विद्वानों के जीवनवृत्तों के आधार पर इन अध्येतावृत्तिओं का निर्धारण किया जाता है। अभी तक 326 विद्वानों को राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की अध्येतावृत्ति प्रदान की जा चुकी है।





वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित विद्वानों को अध्येतावृत्ति प्रदान की गई:-

1. वैद्य राजेश कुमार प्रकाशचन्द्र गुप्ता, सावंतवाडी (महाराष्ट्र)
2. वैद्य सूर्य प्रकाश शर्मा, कोलकता (पश्चिम बंगाल)
3. प्रो. के.आर. कोहली, मुंबई (महाराष्ट्र)
4. प्रो. (डॉ.) नारायण चंद्र दास, पुरी (उड़ीसा)
5. प्रो. जी.एस. तोमर, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
6. प्रो. अनूपकुमार ठाकर, जामनगर (गुजरात)
7. डॉ. विनय वासुदेव वेलणकर, थाने (महाराष्ट्र)
8. डॉ. श्रीनिवास हेजमाड़ी आचार्य, उडुपी (कर्नाटक)
9. डॉ. वसंत लाड, संयुक्त राज्य अमेरिका
10. डॉ. जोस रुग रिबेरो जूनियर, ब्राजील
11. डॉ. बाल कृष्ण शर्मा कौशिक, पंजाब

#### ब) जीवन पर्यन्त उपलब्धियाँ (लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार)

आयुर्वेद की प्रगति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्नलिखित तीन प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक विद्वानों को जीवन पर्यन्त उपलब्धियाँ पुरस्कार से सम्मानित किया गया:-

1. डॉ. पी.आर. कृष्णकुमार, कोयम्बटूर (तमिलनाडू)
2. वैद्य एस.के. दीक्षित, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
3. डॉ. डोईफोड़े विजय विश्वनाथ, पुणे (महाराष्ट्र)

अभी तक 18 विद्वानों को जीवन पर्यन्त उपलब्धियाँ प्रदान की जा चुकी हैं।

#### 4.4. राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठी :

विद्यापीठ प्रत्येक वर्ष एक ऐसे रोग के विषय पर एक सम्मेलन/संगोष्ठी आयोजित करता है, जिसमें आयुर्वेदिक निदान एवं उपचार के लिए विचारों का आदान-प्रदान, विचार-विमर्श तथा चिकित्सा संबंधी अनुभव को प्रसारित करना अपेक्षित है। अभी तक क्षार-सूत्र, हृदय-रोग, आयुर्वेदिक शिक्षा, प्रशिक्षण एवं विकास, नाड़ी विज्ञान, आशुकारी आयुर्वेदिक औषधियाँ एवं तकनीक, शोथहर एवं जीवाणु नाशक आयुर्वेदिक औषधियाँ, एड्स, थायरॉयड रोग, रसायन तथा वृक्क एवं अन्य मूत्र विकार, यकृत पैत्तिक एवं प्लीहा रोग, मधुमेह, मानसिक स्वास्थ्य,



वातव्याधि, मोटापा, महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य रक्षा, हृदय रोग निवारण, त्वक् रोगों का उपचार, कैंसर (2), स्वतः रोग प्रतिरक्षा क्षमता, बस्ति कर्म, प्रमेह (मधुमेह), खेल चिकित्सा में आयुर्वेद की भूमिका और दीर्घायु के लिए आयुर्वेद विषयों पर 25 सम्मेलन/संगोष्ठियां आयोजित की जा चुकी हैं।

#### 4.5. आयुर्वेद के अध्यापकों एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के बीच राष्ट्रीय सम्भाषा कार्यशालाएं :

अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत कर रहे शिष्यों, कनिष्ठ शिक्षकों एवं युवा वैद्यों का यह आम अनुभव रहा है कि पाठ्यपुस्तकों के विषयों/शीर्षकों पर उनके सामने कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जिनके लिए व्याख्या/स्पष्टीकरण, परस्पर वार्ता और वैज्ञानिक समझ अपेक्षित है। कुछ महाविद्यालयों में जहाँ अनुभवी एवं योग्य संकायों की कमी है, वहाँ विद्यार्थी आयुर्वेद की अवधारणाओं और उनकी व्यावहारिक उपयोगिता को समझने का लगातार प्रयास करते हैं।

विद्यार्थियों द्वारा बार-बार यह मुद्दा उठाया जाता है और उस पर तर्क दिया जाता है कि कुछ ऐसे विषयों को जिनकी मौजूदा वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या नहीं की जा सकती है, पाठ्यक्रम/ ग्रन्थों (पाठ्यपुस्तकों) से हटा दिया जाए, क्योंकि वे वर्तमान सन्दर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं।

परन्तु ऐसे निर्णय पर पहुँचने से पहले यह आवश्यक समझा गया कि शिष्यों एवं प्रख्यात विद्वानों तथा अनुभवी वैद्यों में परस्पर बातचीत की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे शंका के ऐसे मुद्दों पर विचार-विमर्श का अवसर मिल सके। यह पाया गया है कि किसी विशिष्ट विषय/शीर्षक पर आयोजित नेमी संगोष्ठियां उसी विषय पर विचार-विमर्श करने तक सीमित रहती हैं और कई बार समय के अभाव में विद्यार्थियों एवं भागीदारों की शंकाएं दूर करने में अक्षम रहती हैं। शिक्षण के क्षेत्र में प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन को शामिल करके एवं लोगों की स्वास्थ्य रक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से दैनिक कर्माभ्यास में उन्हें लागू करने से पेशेवरों में आज के ज्ञान में प्राचीन विचारों के अनुप्रयोग के सम्बन्ध में प्रश्न उठने की पूरी सम्भावना है।

इन कार्यशालाओं में संहिताओं, निघंटुओं, चिकित्सा ग्रन्थों तथा आयुर्वेद की अन्य पाठ्य पुस्तकों के चुने गए विषयों पर शिष्यों से ऐसे प्रश्न आमंत्रित किये



जाते हैं जिन पर वे स्पष्टीकरण चाहते हैं। शिष्यों से प्रश्न मिलने पर उन्हें ऐसे आयुर्वेदिक विद्वानों (साधन सम्पन्न व्यक्तियों) के पास भेजा जाता है, जिन्हें उस विषय का समुचित ज्ञान हो और जो उनकी शंकाओं का समाधान कर सकते हों। प्रश्नोत्तरों को एक पुस्तक के रूप में समेकित करके और वैज्ञानिक विचार-विमर्श के लिए कार्यशाला में वितरित किया जाता है। प्रश्नकर्ताओं और विशेषज्ञों को कार्यशाला में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा अभी तक 25 सम्भाषा कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है तथा कार्यशाला में विचार-विमर्श किये गए प्रश्नोत्तर वाली पुस्तकें तैयार कर उनका विमोचन भी किया जा चुका है।

#### **4.6. संहिता आधारित औषधीय निदान विषय पर आयुर्वेदिक अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम :**

वर्ष 2012 में आयुर्वेद शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थान के स्तरों की जांच के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ और आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित आयुर्वेदिक संस्थानों के सर्वेक्षण में यह पाया गया था कि कई संस्थानों के नैदानिक अभिलेखों में दशाविध परीक्षा, स्रोतस परीक्षण आदि जैसी सूचना नहीं थी। संहिताओं पर आधारित औषधीय रोग निदान की कला और आयुर्वेद में वर्णित प्राचीन तरीके विलुप्त हो रहे हैं। कई अध्यापकों के साथ ही स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने आयुर्वेदिक रोग निदान के तरीकों की यह कला सीखने में रुचि दिखाई है।

उपर्युक्त विषय को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने इस क्षेत्र के प्रख्यात विद्वानों द्वारा संहिताओं (ग्रन्थों) पर आधारित आयुर्वेदिक रोग निदान के तरीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन उपलब्ध करवाने के लिए एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया था।

आयुर्वेद हमारे देश की एक स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है और यह भारत में कई सदियों से प्रयोग में है। जनता के लिए कई उपचार पद्धतियाँ, चिकित्सा पद्धतियाँ एवं औषधियाँ मौजूद हैं। बहुत से कर्माभ्यासी या तो अपने पूर्वजों से परम्परागत ज्ञान प्राप्त करके अथवा स्वयं के अनुभव से आयुर्वेद का कर्माभ्यास कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को लाभ पहुँचा रहे हैं। रोगी देख-भाल के क्षेत्र में उन्हें जो ज्ञान एवं कौशल प्राप्त है, उसे युवा वैद्यों को दिया जाना चाहिए। इसके





अलावा, रोग निदान और उपचार में आयुर्वेद के इस ज्ञान की आयुर्वेद की अवधारणाओं के अनुसार ही व्याख्या किये जाने की आवश्यकता है।

#### **4.7. चरक आयतनमः (आयुर्वेद के स्नातक और स्नातकोत्तर अध्येताओं के लिए 6 दिन का पूरा आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम)**

संहिता आयुर्वेद का आधार है। वे आयुर्वेद की सबसे नैदानिक शास्त्रीय पाठ्य पुस्तकें हैं। हालांकि यह देखा गया है कि उनकी नैदानिक प्रासंगिकता को ठीक से समझाया और सिखाया नहीं गया है। फलसवरूप, वे सैद्धांतिक पाठ्य पुस्तकों के रूप में माना जाता है।

चरक संहिता कायचिकित्सा का मूल पाठ है, चरक आयतनम कार्यक्रम चरक संहिता की प्रमाणिक नैदानिक समझाने और नैदानिक अभ्यास में इसकी प्रासंगिकता प्रदान करने का एक प्रयास है।

#### **4.8. प्रकाशन :**

विद्यापीठ आयुर्वेद की कुछ ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन करता रहा है, जो जन-साधारण में जागरूकता पैदा करती हैं और साथ ही आयुर्वेद एवं सम्बद्ध विज्ञानों के विद्यार्थियों तथा पेशेवरों के लिए भी उपयोगी हैं। यह विद्यापीठ, आवश्यक पुनरीक्षा एवं विशेषज्ञ-समिति की संस्तुतियों तथा शासी निकाय से अनुमोदन लेने के पश्चात्, अपने शिष्यों के शोध प्रबन्धों का प्रकाशन भी करता है। रा.आ.वि. ने दो वर्षीय पाठ्यक्रम वाले अपने शिष्यों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबन्धों पर आधारित चार पुस्तकों सहित अभी तक 25 स्मारिकाएं और 15 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। सम्भाषा कार्यशालाओं से संबंधित पच्चीस प्रश्नोत्तरी वाली पुस्तकों का प्रकाशन भी इस विद्यापीठ द्वारा किया गया है।

### **5. तकनीकी रिपोर्ट : (वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित क्रिया-कलाप)**

#### **5.1. वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें :**

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान शासी निकाय की एक बैठक तथा स्थायी वित्त समिति की दो बैठकें आयोजित की गई थी। विवरण निम्नवत् है :-



### (क) शासी निकाय की बैठक :

वर्ष के दौरान शासी निकाय की एक बैठक (45<sup>वीं</sup> शासी निकाय बैठक) 26 सितम्बर, 2019 को आयोजित की गई थी, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :-

#### 26 सितम्बर, 2019 को आयोजित शासी निकाय की 45<sup>वीं</sup> बैठक :

**बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-**

1. 'पद्म भूषण' वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा-अध्यक्ष।
2. वैद्य मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय
3. वैद्य अनूप ठाकर, कुलपति, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय
4. डॉ. राजेश गुप्ता, सार्वतवाड़ी
5. डॉ. वर्षा देशपांडे, कराड
6. वैद्य दीनानाथ उपाध्याय, पुणे
7. डॉ. गोबिंद प्रसाद उपाध्याय, नागपुर
8. वैद्य सदानंद सर्वेशमुख, पुणे
9. श्री राजकुमार, डीएस, आई.एफ.डी. (अपर सचिव एंड एफए के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)
10. डॉ. अनुपम श्रीवास्तव, निदेशक-सदस्य सचिव
11. श्रीमती विजयलक्ष्मी भारद्वाज, उप सचिव-आयुष मंत्रालय-आमंत्रित
12. श्री ए.जे.जे. केनेडी, अवर सचिव (एनआई)-आयुष मंत्रालय-आमंत्रित

#### **शासी निकाय की 45<sup>वीं</sup> बैठक में लिये गए प्रमुख निर्णय :**

शासी निकाय की 45<sup>वीं</sup> बैठक 26 सितम्बर, 2019 को आयोजित की गई थी, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्तुतियां अनुमोदित की गयीं थी :

1. वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक लेखों का अनुमोदन किया गया।
2. वर्ष 2019-20 के लिए बजट प्राक्कलन का अनुमोदन किया गया।



3. वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।
4. स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों के लिए संहिता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हेतु स्वीकृति (चरकआयतनम्)।
5. आरएवी के लिए अतिरिक्त स्थान के लिए स्वीकृति।

**(ख) स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक:**

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान स्थायी वित्त समिति की दो बैठकें दिनांक 02 जुलाई, 2019 और 27 जनवरी, 2020 को स्थायी वित्त समिति के पदेन सदस्यों के साथ आयोजित की गई थीं।

**02 जुलाई, 2019 को आयोजित 30<sup>वीं</sup> स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक**

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :—

1. श्री पी.एन रंजीत कुमार, संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय—पदेन सदस्य
2. श्री राजकुमार, उप सचिव (आई.एफ.डी.), अपर सचिव या उनके प्रतिनिधि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन।
3. वैद्य मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय
4. वैद्य दीनानाथ उपाध्याय, पुणे
5. डॉ. वर्षा देशपांडे, कराड
6. श्रीमती विजयलक्ष्मी भारद्वाज, उप सचिव—आयुष मंत्रालय—विशेष आमंत्रित
7. श्री ए.जे.जे. केनेडी, अवर सचिव (एनआई)—आयुष मंत्रालय— विशेष आमंत्रित
8. डॉ. अनुपम—निदेशक, आरएवी

**स्थायी वित्त समिति की 30<sup>वीं</sup> बैठक में लिए गए मुख्य निर्णयः—**

स्थायी वित्त समिति की 30<sup>वीं</sup> बैठक 02 जुलाई, 2019 को आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्तुतियां अनुमोदित की गई थीं।



1. वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक लेखों का अनुमोदन किया गया।
2. वर्ष 2019-20 के लिए बजट का अनुमोदन किया गया।
3. पी.जी. विद्वान और युवा शिक्षक के बीच सम्भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए अनुमोदित किया।
4. स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों के लिए संहिता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हेतु अनुमोदित किया गया (चरकआयतनम्)।
5. आरएवी के लिए अतिरिक्त स्थान के लिए स्वीकृति।

**27 जनवरी, 2020 को आयोजित 31<sup>वीं</sup> स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक**

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

1. श्री प्रमोद कुमार पाठक, अपर सचिव, आयुष मंत्रालय-पदेन सदस्य
2. अपर सचिव या उनके प्रतिनिधि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन।
3. वैद्य मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय
4. डॉ. वर्षा देशपांडे, कराड
5. श्री यश वीर सिंह, उप सचिव-आयुष मंत्रालय-विशेष आमंत्रित
6. श्री ए.जे.जे. केनेडी, अवर सचिव (एनआई)-आयुष मंत्रालय- विशेष आमंत्रित
7. श्री सचिन कुमार, अनुसंधान अधिकारी-आयुष मंत्रालय- विशेष आमंत्रित
8. डॉ. अनुपम-निदेशक, आरएवी

**स्थायी वित्त समिति की 31<sup>वीं</sup> बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय:-**

स्थायी वित्त समिति की 31<sup>वीं</sup> बैठक 27 जनवरी, 2020 को आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्तुतियां अनुमोदित की गई थीं।





1. भारत और विदेशों में अधिकृत आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के लिए सरकारी एजेंसी के रूप में अधिसूचित आरएवी को सशक्त बनाने के लिए स्वीकृति।
2. नई किराया दरों के लिए स्वीकृति।

## 5.2. गुरु शिष्य परम्परा

### (क) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.)

#### सीआरएवी गुरुजनों का चयन :

वर्ष 2019-20 में नए सत्र के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र (सी.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के उद्देश्य से इस पाठ्यक्रम में गुरुजनों की नियुक्ति हेतु 20 जून, 2019 को 'विज्ञापन एवं दृष्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.)' के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर सभी प्रमुख समाचारपत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। भावी वैद्यों/विद्वानों से लगभग 84 नए आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे।

जांच समिति की बैठक 17.07.2019 को हुई जिसमें 84 आवेदन (संस्थागत के लिए 06, व्यक्तिगत के लिए 71 और देर से प्राप्त हुए 07) अवलोकन किया गया। इस प्रकार, जांच समिति के सदस्यों द्वारा 84 आवेदनों में से 66 आवेदनों को चुना गया और 18 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया। समिति ने भौतिक सत्यापन के प्रयोजन के लिए 74 (66 नए और 08 मौजूदा) आवेदकों को चुना।

शासी निकाय के एक उप-समिति का गठन रा.आ.वि. के शासी निकाय के अध्यक्ष के अनुमोदन से किया गया ताकि 74 गुरुओं की निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा की जा सके और शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए गुरुओं का चयन किया जा सके। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1. वैद्य मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद) | — | अध्यक्ष |
| 2. वैद्य अनुप ठाकर, कुलपति, जामनगर      | — | सदस्य   |





- |                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| 3. डॉ. राजेश गुप्ता, सावंतवाड़ी | — | सदस्य |
| 4. डॉ. वर्षा देशपांडे, कराड     | — | सदस्य |
| 5. डॉ. अनुपम, निदेशक, आरएवी     | — | सदस्य |

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य जानकारी की विस्तार से चर्चा की गई। उपरोक्त समिति ने आवेदनपत्रों की जांच की और पात्रता एवं मानदण्डों के अनुसार 74 आवेदनपत्रों में से 58 नामों का चयन किया। इसके अतिरिक्त शासी निकाय के सदस्यों द्वारा दिये गए सुझाव के अनुसार कुछ और नामों पर भी विचार किया गया था। गुरुजनों के नामों को अन्तिम रूप देने के लिए 26 सितम्बर, 2019 को उप-समिति की बैठक आयोजित की गई, इस प्रकार 53 वैयक्तिक गुरुजनों और 5 संस्थागत गुरुजनों को शामिल करते हुए कुल 58 गुरुजनों का चयन किया गया है। इस वर्ष के लिए सी.आर.ए.वी के लिए सूचीबद्ध गुरुजनों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्रमांक	गुरुजनों का नाम एवं स्थान	विषय
1.	डॉ. एल. सुचरिता, बेंगलुरु (कर्नाटक)	स्त्री रोग
2.	प्रो. प्रेमवती तिवारी, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	स्त्री रोग
3.	डॉ. विजयन नांगेलिल, कोथामंगलम् (केरल)	अस्थि एवं मर्म चिकित्सा
4.	डॉ. सी. सुरेश कुमार, त्रिवेन्द्रम (केरल)	अस्थि चिकित्सा
5.	डॉ. मैथ्यूज जोसेफ, मुक्त्तुपुझा (केरल)	अस्थि एवं मर्म चिकित्सा और खेल चोट प्रबंधन
6.	डॉ. ए. राघवेंद्र आचार्य, उडुपी (कर्नाटक)	क्षारसूत्र एवं मर्म चिकित्सा



7.	डॉ. मुकुल पटेल, सूरत (गुजरात)	क्षारसूत्र
8.	वैद्य देवेन्द्र कुमार शाह, अहमदाबाद (गुजरात)	क्षारसूत्र
9.	डॉ. रमन सिंह, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र
10.	डॉ. हेम राज शर्मा, ऊना (हिमाचल प्रदेश)	क्षारसूत्र
11.	डॉ. के.वी.एस. राव, भिलाई (छत्तीसगढ़)	क्षारसूत्र
12.	डॉ. लालता प्रसाद, बरेली (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र
13.	डॉ. मनोरंजन साहू, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र
14.	डॉ. हर्षवर्धन जोबनपुर, नाडियाड (गुजरात)	क्षारसूत्र
15.	डॉ. डी. रामानाथन, त्रिशूर (केरल)	फार्मसी
16.	डॉ. विजय विश्वनाथ डोईफोडे, पुणे (महाराष्ट्र)	फार्मसी
17.	डॉ. विवेक दत्तात्रेय साने, पुणे (महाराष्ट्र)	फार्मसी
18.	डॉ. सूर्य प्रकाश शर्मा, कोलकता (पश्चिम बंगाल)	फार्मसी



19.	वैद्य शशिकुमार नेचियाल, पलक्कड़ (केरल)	फार्मसी
20.	डॉ. आई. भावदासन नम्बूदरी, कन्नूर (केरल)	नेत्र चिकित्सा
21.	श्रीधरीयम आयुर्वेदिक नेत्र अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, एर्नाकुलम (केरल) (डॉ. एन. नारायण नम्बूदरी)	नेत्र चिकित्सा (संस्थागत गुरु)
22.	डॉ. जयसुख रामजिभाई मकवाना, राजकोट (गुजरात)	दंत चिकित्सा
23.	वैद्य निमकर आनंद सदानंद, सतारा (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
24.	वैद्य सुविनय विनायक दामले, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
25.	डॉ. मनी भूषण कुमार, पटना (बिहार)	कायचिकित्सा
26.	वैद्य बिनोद जोशी, हलद्वानी (उत्तराखंड)	कायचिकित्सा
27.	वैद्य नामधर शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा
28.	डॉ. रमेश आर. वारियर, मदुरै (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा
29.	डॉ. सत्य प्रकाश गुप्ता, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	कायचिकित्सा
30.	डॉ. वी. श्रीकुमार, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा



31.	डॉ. रविशंकर परवजे, दक्षिणकन्नडा (कर्नाटक)	कायचिकित्सा
32.	वैद्य दिनेशचंद्र डी. गोराडिया, मुम्बई (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
33.	वैद्य रामदास म्हालुजी अक्हाड़, अहमदनगर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
34.	डॉ. के. चिदंबरम, कन्याकुमारी (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा
35.	वैद्य अश्वनी कुमार शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा
36.	वैद्य ताराचन्द शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा
37.	डॉ. नरेन्द्र गुजराती नारायणदास, जलगाँव (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
38.	डॉ. गंजम कृष्ण प्रसाद, सिकंदराबाद (तेलंगाना)	कायचिकित्सा
39.	डॉ. धनराज विश्वेश्वर गहुकर, नागपुर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
40.	डॉ. मधुसूदन देशपाण्डे, भोपाल (मध्य प्रदेश)	कायचिकित्सा
41.	वैद्य जगजीत सिंह, चंडीगढ़ (पंजाब)	कायचिकित्सा
42.	डॉ. सी.एम. श्रीकृष्णन, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा



43.	वैद्य. जगदीश्वरी प्रसाद मिश्रा “बसंत”, सीतामढ़ी (बिहार)	कायचिकित्सा
44.	डॉ. संतोष भगवानराव नेवपुरकर, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
45.	वैद्य जयंत यशवंत देवपुजारी, नागपुर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
46.	डॉ. विनय वासुदेव वेलणकर, थाने (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
47.	डॉ. दमानिया पंचाभाई, जूनागढ़ (गुजरात)	कायचिकित्सा
48.	वैद्य अनिल भारद्वाज, चंडीगढ़ (पंजाब)	कायचिकित्सा
49.	वैद्य अच्युत कुमार त्रिपाठी, नोएडा (उत्तर प्रदेश)	कायचिकित्सा
50.	भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट, पुणे (महाराष्ट्र) (वैद्य एस. पी. सरदेशमुख)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरु)
51.	आर्यवैद्य चिकित्सालयम् एवं अनुसंधान संस्थान, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) (डॉ. पी.आर. कृष्णकुमार)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरु)
52.	आर्य वैद्य शाला, कोट्टाक्कल, (केरल) (डॉ. पी. माधवनकुट्टी वारियर)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरु)
53.	श्रीमती मनीबेन अमृतलाल हरगोवन सरकारी आयुर्वेद अस्पताल, अहमदाबाद (गुजरात), (डॉ. सी.एन. जानी)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरु)





54.	डॉ. मनोज कुमार शर्मा, कोटा (राजस्थान)	कायचिकित्सा
55.	डॉ. श्रीकृष्णा शर्मा खंडेल, जयपुर (राजस्थान)	कायचिकित्सा
56.	वैद्य नारायण चंद्र दास, पुरी (उड़ीसा)	कायचिकित्सा
57.	डॉ. पंगला मुरलीधरन रामचंद्र भट, बेंगलुरु (कर्नाटक)	कायचिकित्सा
58.	डॉ. प्रवीण प्रभाकर जोशी, धुले (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा

### (ख) सीआरएवी पाठ्यक्रम के शिष्यों का प्रवेश एवं प्रशिक्षण :

इस वर्ष के दौरान शिष्यों को प्रवेश देने के उद्देश्य से 28 अगस्त, 2019 को पूरे देश के सभी प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसके अतिरिक्त सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों को इन विज्ञापनों की प्रतियाँ उनके सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करने के लिए भेजी गई थी। विज्ञापनों की प्रतियाँ पाठ्य-विवरणिका एवं अन्य नियमावली के साथ सभी गुरुजनों एवं शासी निकाय के सदस्यों को भी भेजी गई थी।

विज्ञापन के प्रत्युत्तर में लगभग 735 आवेदनपत्र प्राप्त हुए और उनकी जांच की गई थी। लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए 729 पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेशपत्र जारी किए गए थे। परीक्षा 22 सितम्बर, 2019 को दिल्ली, पुणे और त्रिशूर के पूर्व अनुमोदित परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की गई थी। तीनों केन्द्रों में कुल 684 आवेदकों ने परीक्षा दी। लिखित परीक्षा के लिए 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाला प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किया गया था। योग्यता के आधार पर कुल 160 शिष्य चुने गए थे।



इस प्रकार निम्नलिखित 138 शिष्य 58 गुरुजनों के अधीन प्रशिक्षण ले रहे हैं। ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क्रमांक	गुरुजनों का नाम एवं स्थान	विषय	शिष्यों की संख्या
1.	डॉ. एल. सुचरिता, बेंगलुरु (कर्नाटक)	स्त्री रोग	2
2.	प्रो. प्रेमवती तिवारी, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	स्त्री रोग	2
3.	डॉ. विजयन नांगेलिल, कोथामंगलम् (केरल)	अस्थि एवं मर्म चिकित्सा	4
4.	डॉ. सी. सुरेश कुमार, त्रिवेन्द्रम (केरल)	अस्थि चिकित्सा	4
5.	डॉ. मैथ्यूज जोसेफ, मुवत्तुपुझा (केरल)	अस्थि एवं मर्म चिकित्सा और खेल चोट प्रबंधन	1
6.	डॉ. ए. राघवेंद्र आचार्य, उडुपी (कर्नाटक)	क्षारसूत्र एवं मर्म चिकित्सा	2
7.	डॉ. मुकुल पटेल, सूरत (गुजरात)	क्षारसूत्र	2
8.	वैद्य देवेन्द्र कुमार शाह, अहमदाबाद (गुजरात)	क्षारसूत्र	1
9.	डॉ. रमन सिंह, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र	2
10.	डॉ. हेम राज शर्मा, ऊना (हिमाचल प्रदेश)	क्षारसूत्र	2



11.	डॉ. के.वी.एस. राव, भिलाई (छत्तीसगढ़)	क्षारसूत्र	2
12.	डॉ. लालता प्रसाद, बरेली (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र	1
13.	डॉ. मनोरंजन साहू, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र	1
14.	डॉ. हर्षवर्धन जोबनपुर, नाडियाड (गुजरात)	क्षारसूत्र	1
15.	डॉ. डी. रामानाथन, त्रिशूर (केरल)	फार्मसी	1
16.	डॉ. विजय विश्वनाथ डोईफोडे, पुणे (महाराष्ट्र)	फार्मसी	2
17.	डॉ. विवेक दत्तात्रेय साने, पुणे (महाराष्ट्र)	फार्मसी	2
18.	डॉ. सूर्य प्रकाश शर्मा, कोलकता (पश्चिम बंगाल)	फार्मसी	2
19.	वैद्य शशिकुमार नेचियाल, पलक्कड़ (केरल)	फार्मसी	2
20.	डॉ. आई. भावदासन नम्बूदरी, कन्नूर (केरल)	नेत्र चिकित्सा	2
21.	श्रीधरीयम आयुर्वेदिक नेत्र अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, एर्नाकुलम (केरल) (डॉ. एन. नारायण नम्बूदरी)	नेत्र चिकित्सा (संस्थागत गुरु)	6
22.	डॉ. जयसुख रामजिभाई मकवाना, राजकोट (गुजरात)	दंत चिकित्सा	0





23.	वैद्य निमकर आनंद सदानंद, सतारा (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	1
24.	वैद्य सुविनय विनायक दामले, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	2
25.	डॉ. मनी भूषण कुमार, पटना (बिहार)	कायचिकित्सा	2
26.	वैद्य बिनोद जोशी, हलद्वानी (उत्तराखंड)	कायचिकित्सा	2
27.	वैद्य नामधर शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा	2
28.	डॉ. रमेश आर. वारियर, मदुरे (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा	4
29.	डॉ. सत्य प्रकाश गुप्ता, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	कायचिकित्सा	2
30.	डॉ. वी. श्रीकुमार, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा	2
31.	डॉ. रविशंकर परवजे, दक्षिणकन्नडा (कर्नाटक)	कायचिकित्सा	4
32.	वैद्य दिनेशचंद्र डी. गोराडिया, मुम्बई (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	1
33.	वैद्य रामदास म्हालुजी अक्हाड़, अहमदनगर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	3
34.	डॉ. के. चिदंबरम, कन्याकुमारी (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा	4



35.	वैद्य अश्वनी कुमार शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा	2
36.	वैद्य ताराचन्द शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा	2
37.	डॉ. नरेन्द्र गुजराती नारायणदास, जलगाँव (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	2
38.	डॉ. गंजम कृष्ण प्रसाद, सिकंदराबाद (तेलंगाना)	कायचिकित्सा	2
39.	डॉ. धनराज विश्वेश्वर गहुकर, नागपुर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	1
40.	डॉ. मधुसूदन देशपाण्डे, भोपाल (मध्य प्रदेश)	कायचिकित्सा	2
41.	वैद्य जगजीत सिंह, चंडीगढ़ (पंजाब)	कायचिकित्सा	2
42.	डॉ. सी.एम. श्रीकृष्णन, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा	1
43.	वैद्य. जगदीश्वरी प्रसाद मिश्रा "बसंत", सीतामढ़ी (बिहार)	कायचिकित्सा	2
44.	डॉ. संतोष भगवानराव नेवपुरकर, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	1
45.	वैद्य जयंत यशवंत देवपुजारी, नागपुर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	2
46.	डॉ. विनय वासुदेव वेलणकर, थाने (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	1



47.	डॉ. दमानिया पंचाभाई, जूनागढ़ (गुजरात)	कायचिकित्सा	1
48.	वैद्य अनिल भारद्वाज, चंडीगढ़ (पंजाब)	कायचिकित्सा	2
49.	वैद्य अच्युत कुमार त्रिपाठी, नोएडा (उत्तर प्रदेश)	कायचिकित्सा	2
50.	भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट, पुणे (महाराष्ट्र) (वैद्य एस. पी. सरदेशमुख)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरु)	8
51.	आर्यवैद्य चिकित्सालयम् एवं अनुसंधान संस्थान, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) (डॉ. पी.आर. कृष्णकुमार)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरु)	8
52.	आर्य वैद्य शाला, कोट्टाक्कल, (केरल) (डॉ. पी. माधवनकुट्टी वारियर)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरु)	8
53.	श्रीमती मनीबेन अमृतलाल हरगोवन सरकारी आयुर्वेद अस्पताल, अहमदाबाद (गुजरात), (डॉ. सी.एन. जानी)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरु)	7
54.	डॉ. मनोज कुमार शर्मा, कोटा (राजस्थान)	कायचिकित्सा	2
55.	डॉ. श्रीकृष्णा शर्मा खंडेल, जयपुर (राजस्थान)	कायचिकित्सा	2
56.	वैद्य नारायण चंद्र दास, पुरी (उड़ीसा)	कायचिकित्सा	1



57.	डॉ. पंगला मुरलीधरन रामचंद्र भट, बेंगलुरु (कर्नाटक)	कायचिकित्सा	2
58.	डॉ. प्रवीण प्रभाकर जोशी, धुले (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	2
कुल			138

### 5.3 संहिता आधारित औषधीय निदान पर आयुर्वेदिक अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम :

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने वर्ष 2013-14 में इस क्षेत्र के प्रख्यात विद्वानों ने संहिताओं (ग्रन्थों) पर आधारित जांच करने के नैदानिक तरीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन उपलब्ध करवाने के लिए एक आदर्श प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया था, क्योंकि यह देखा गया था कि कई संस्थानों के चिकित्सा अभिलेखों में दशाविध परीक्षा, स्रोतस परीक्षा आदि जैसी सूचना नहीं थी। संहिताओं पर आधारित नैदानिक जांच की कला और आयुर्वेद में वर्णित प्राचीन तरीके विलुप्त हो रहे हैं। कई अध्यापकों ने आयुर्वेदिक निदान के तरीकों की यह कला सीखने में अभिरुचि दिखाई।

अतः आयुर्वेद के ग्रन्थों तथा आयुर्वेद में वर्णित प्राचीन पद्धति पर आधारित नैदानिक निदान कला के कर्माभ्यास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने स्त्री रोग और बाल रोग के अध्यापकों के लिए निम्नलिखित दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये :-

क्र.संख्या	जगह	समय
1	पुणे	31 जनवरी – 1 फरवरी, 2020
2	अहमदाबाद	7 – 8 फरवरी, 2020





इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रख्यात विद्वानों ने व्याख्यान दिये और व्यावहारिक सत्र आयोजित किए हैं। अब तक, 500 अध्यापकों को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित किया गया था।

#### 5.4. प्रकाशन/पुस्तकों की बिक्री

वर्ष के दौरान विद्यापीठ ने रुपये 7,54,015/—(रुपये सात लाख चौवन हजार पंद्रह मात्र) मूल्य के अपने प्रकाशनों की बिक्री की थी।

#### 5.5. अन्य क्रिया-कलाप

##### क) आरोग्य प्रदर्शनियों और आयुर्वेद पर्व में भागीदारी

विद्यापीठ ने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित तीन आरोग्य प्रदर्शनियों और चतुर्थ राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस में भाग लिया। विवरण निम्नलिखित है:—

- प्रथम आरोग्य 22-25 अगस्त, 2019 तक मुंबई में आयोजित किया गया।
- द्वितीय आरोग्य 19-22 दिसम्बर, 2019 तक बीएचयू, वाराणसी में आयोजित किया गया।
- तृतीय आरोग्य 12-16 फरवरी, 2020 तक देहरादून में आयोजित किया गया।
- चतुर्थ राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 24-25 अक्टूबर, 2019 तक जयपुर में आयोजित किया गया।

##### (ख) सतत चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई.) की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना की निगरानी एवं कार्यान्वयन

यह विद्यापीठ प्रधान कार्यालय के रूप में आयुष मंत्रालय की सतत चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई.) की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना (सेंट्रल सेक्टर स्कीम) का कार्यान्वयन करता रहा है। ये कार्यक्रम देश भर की चुनिंदा संस्थाओं में शिक्षकों, चिकित्सा अधिकारियों और आयुष तंत्र के अन्य कर्मिकों के ज्ञान को उन्नत बनाने और उन्हें संबंधित विषयों में रोग निदान, उपचार, औषध आदि के क्षेत्रों में प्रगति एवं अनुसन्धान परिणामों की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित किये गए थे। प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण एवं अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अलावा



आयुष एवं एलोपैथी चिकित्सकों के लिए योग एवं आयुष के अन्य विषयों में पुनर्बोध प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई थी।

वर्ष 2019-20 के दौरान 54 सीएमई कार्यक्रमों के लिए जी.आई.ए. 330.00 लाख रुपये की निधियां जारी की गई हैं इनमें अध्यापकों के लिए 34 सीएमई, चिकित्सकों के लिए 16 सीएमई, नर्सों के लिए 01 सीएमई प्रबंधन के लिए 01 सीएमई आर एंड डी में, मॉड्यूल के संशोधन के लिए 01 सीएमई और पात्र संस्थानों के लिए प्रतिपूर्ति शामिल हैं।

इसके अलावा 2019-20 के दौरान, 24 लंबित पड़े हुए 211.00 लाख रुपये की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों का परिसमापन भी किया गया है।



वर्ष 2019-20 के दौरान अत्यावकल एवं विधिवसकों के लिए आयुष के जारी किए गए सीएम्ड कार्यालयों का सार्वजनिक विवरण :

क्र.सं.	कार्य	संख्याओं की संख्या	आयुष के जारी किए गए सीएम्ड की संख्या	दोनों के लिए जारी किए गए सीएम्ड की संख्या	द्वितीय	वि.सं.	योग एवं आकृतिक विवरण	अवधि (वर्षों में)	विधि	जारी करने की तिथि (वर्षों में)
			अवधि के लिए जारी किए गए सीएम्ड की संख्या	अवधि के लिए जारी किए गए सीएम्ड की संख्या	अवधि के लिए जारी किए गए सीएम्ड की संख्या	अवधि के लिए जारी किए गए सीएम्ड की संख्या	अवधि के लिए जारी किए गए सीएम्ड की संख्या	अवधि के लिए जारी किए गए सीएम्ड की संख्या	अवधि के लिए जारी किए गए सीएम्ड की संख्या	अवधि के लिए जारी किए गए सीएम्ड की संख्या
	उत्तराखण्ड	1+0	3 (6 दिन)	-	-	-	-	-	-	18.00
	हिमाचल प्रदेश	4+0	5 (6 दिन)	1 (6 दिन)	-	-	-	-	01 अप्रैल के संशोधन 01 सीएम्ड जारी के लिए	46.5
	दिल्ली	0+1	-	-	1 (6 दिन)	-	-	-	-	6.00
	गुजरात	1+4	3 (6 दिन)	-	-	-	-	-	1 सीएम्ड प्रबंधन में	40.12
	कर्नाटक	0+2	3 (6 दिन)	2 (6 दिन)	-	-	-	-	-	25.00
	महाराष्ट्र	1+9	7 (6 दिन)	2 (6 दिन)	-	-	-	-	-	66.00
	समिलानाथ	1+2	-	-	1 (6 दिन)	-	-	-	6 दिन सीएम्ड और एड डी में	19.5
	उत्तर प्रदेश	3+1	-	2 (6 दिन)	-	-	-	-	-	27.00
	राजस्थान	1+1	1 (6 दिन)	1 (2 दिन)	1 (6 दिन)	-	-	-	-	15.88
0.	बिहार	1+0	1 (6 दिन)	-	-	-	-	-	-	6.00
1.	वेस्ट बंगाल	1+1	-	1 (6 दिन)	3 (6 दिन)	-	-	-	-	24.00
2.	पंजाब	0+1	1 (6 दिन)	-	-	-	-	-	-	6.00
3.	छत्तीसगढ़	1+0	-	1 (6 दिन)	-	-	-	-	-	6.00
4.	जम्मू	1+0	-	1 (6 दिन)	-	-	-	-	-	6.00
कुल		16+22=38	24	11	6	2	3	1	4	17.59
									संशोधन की प्रतिकृति	20.00
									अन्य प्रमाण	349.51
									कुल	

कुल कार्यक्रम = 54 कार्यालयी=महामंत्री/वि. व.व.ट. अनुमान-350.00 कार्यालयी, संशोधित अनुमान-350 कार्यालयी, वार्षिक अनुमान-349.59 कार्यालयी



## 6. बजट और व्यय :

वर्ष 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने 665.66 लाख रुपये (जीआईए सामान्य: 571.24 लाख रुपये, जीआईए वेतन: 86.12 लाख रुपये, जीआईए सीएमई: 6.0 लाख रुपये और जीआईए-स्वच्छ भारत अभियान: 2.00 लाख रुपये) का अनुदान आयुष मंत्रालय से प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 के लिए 239.96 लाख रुपये (जीआईए सामान्य: 226.46 लाख रुपये, जीआईए वेतन: 12.38 लाख रुपये और जीआईए-स्वच्छ भारत अभियान: 1.12 लाख रुपये) का अप्रयुक्त अनुदान था। वर्ष के दौरान सामान्य के तहत इसकी अपनी प्राप्तियाँ जीआईए सामान्य 1.35 लाख रुपये थीं। विद्यापीठ ने 874.44 लाख रुपये (जीआईए सामान्य: 799.35 लाख रुपये, जीआईए वेतन: 74.59 लाख रुपये और जीआईए-स्वच्छ भारत अभियान: 0.50 लाख रुपये), का उपयोग किया और 31 मार्च, 2020 के अन्त तक 32.53 लाख रुपये (जीआईए सामान्य: 23.91 लाख रुपये, जीआईए सीएमई: 6.0 लाख रुपये और जीआईए-स्वच्छ भारत अभियान: 2.62 लाख रुपये) बिना खर्च हुए शेष रह गए।





## 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

हमने, नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम-1971 की धारा 20 (1) के अधीन, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (विद्यापीठ) के 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार संलग्न की गई उस वर्ष की तिथि को समाप्त किए गए तुलनपत्र और आय एवं व्यय लेखे तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा कर ली है। यह लेखापरीक्षा 2020-21 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। यह वित्तीय विवरण राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है, जो की हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा में वर्गीकरण, अभिपुष्टि संबंधित सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों, लेखा मानकों तथा प्रकटीकरण करने वाले मानकों इत्यादि के संबंध में लेखा-अभिक्रिया पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियां मौजूद हैं। कानून, नियम एवं विनियम (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि से सम्बन्धित वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा अवलोकन, यदि कोई हों, निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के जरिए अलग से सूचित की जाती हैं।

3. हमने, अपनी लेखापरीक्षा को भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन इस तरह से करें, कि यह उचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय विवरण मूर्त (वर्णीकृत) गलत विवरणों से स्वतंत्र हैं। एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई धनराशि एवं प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच एक परीक्षण के आधार पर करना शामिल होता है। एक लेखापरीक्षा में प्रबन्धन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों एवं किये गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का आंकलन करना और साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

3. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम यह भी सूचित करते हैं कि :-



- (i) हमने वह सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए थे, जो हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।
- (ii) इस रिपोर्ट में शामिल किए गये तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय लेखे एवं प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किये गए हैं।
- (iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा लेखा-बहियों तथा अन्य संबंधित अभिलेखों का समुचित रख-रखाव किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा ऐसी बहियों का जांच करने से पता चलता है।
- (iv) हम आगे सूचित करते हैं कि :-

#### (क) सामान्य

**क.1** वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अधिसूचना संख्या एफ-11/14/2013-पीआर दिनांक 02.02.2015 निर्देशों के अनुसार भविष्य निधि का निवेश विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों (45 से 55% तक), ऋण प्रतिभूतियों (35 से 45% तक), अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियों (5% तक), इक्विटीज (5 से 15% तक), संपत्ति समर्थित विश्वास संरचना (5% तक) में किया जाना चाहिए। हालाँकि, विद्यापीठ ने 106.56 लाख रुपये राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा में निवेश किया था जोकि वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार नहीं था।

#### (ख) सहायता अनुदान :

वर्ष 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने 665.66 लाख रुपये (जीआईए सामान्य: 571.24 लाख रुपये, जीआईए वेतन: 86.12 लाख रुपये, जीआईए सीएमई: 6.0 लाख रुपये और जीआईए-स्वच्छ भारत अभियान: 2.00 लाख रुपये) का अनुदान आयुष मंत्रालय से प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 के लिए 239.96 लाख रुपये (जीआईए सामान्य: 226.46 लाख रुपये, जीआईए वेतन: 12.38 लाख रुपये और जीआईए-स्वच्छ भारत अभियान: 1.12 लाख रुपये) का अप्रयुक्त अनुदान था। वर्ष के दौरान सामान्य के तहत इसकी अपनी प्राप्तियाँ जीआईए सामान्य 1.35 लाख रुपये थीं। विद्यापीठ ने 874.44 लाख रुपये (जीआईए सामान्य: 799.35 लाख रुपये, जीआईए वेतन: 74.59 लाख



रुपये और जीआईए-स्वच्छ भारत अभियान: 0.50 लाख रुपये), का उपयोग किया और 31 मार्च, 2020 के अन्त तक 32.53 लाख रुपये (जीआईए सामान्य: 23.91 लाख रुपये, जीआईए सीएमई: 6.0 लाख रुपये और जीआईए-स्वच्छ भारत अभियान: 2.62 लाख रुपये) बिना खर्च हुए शेष रह गए।

#### घ. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें विद्यापीठ के प्रबंधन के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जारी किया गया है।

- v. पूर्ववर्ती परिच्छेदों में हमारे निरीक्षणों के अध्यक्षीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल किये गए तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखे/प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।
- vi. हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा नीतियों एवं लेखा टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामले तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबन्ध में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सही और सत्य स्थिति दर्शाते हैं;
  - (क) जहां तक इसका सम्बन्ध है यह 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के कार्यों से सम्बन्धित तुलनपत्र से है; और
  - (ख) जहां तक इसका संबंध है उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष की आय एवं व्यय से है।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./-

अशोक सिन्हा

महानिदेशक लेखा परीक्षा

(स्वास्थ्य कल्याण और ग्रामीण विकास)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 06.01.2021





## अनुबंध

- (1) **आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :**  
राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की आन्तरिक लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015-16 तक किया गया है।
- (2) **आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :**  
आन्तरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षा आपत्तियों के लिए प्रबंधकों का उत्तर प्रभावी नहीं था, क्योंकि 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2016 तक आन्तरिक लेखा परीक्षा के 15 पैराग्राफ बकाया थे।
- (3) **अचल परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली :**  
वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए अचल परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।
- (4) **स्टॉकों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली :**  
पुस्तकों एवं प्रकाशनों, लेखन सामग्री और उपभोज्य वस्तुओं का वर्ष 2019-20 तक प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।
- (5) **सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता :**  
दिनांक 31-3-2020 की स्थिति के अनुसार कोई भी सांविधिक देय छः माह से अधिक समय से बकाया नहीं था।

### अस्वीकरण / Disclaimer

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इस में कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”





वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20

## 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

घनराशि (रु)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>समग्र / पूंजीगत निधि एवं देयताएं</b>			
समग्र / पूंजीगत निधि	1	44,70,864.00	44,56,864.00
आरक्षित निधि और अधिशेष	2	47,73,468.00	37,68,022.00
उद्दिष्ट/अक्षय निधि	3	-	-
जमानती ऋण एवं उधार	4	-	-
गैर-जमानती ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान	7	1,61,38,650.00	3,57,22,590.00
<b>कुल</b>		<b>2,53,82,982.00</b>	<b>4,39,47,476.00</b>
<b>परिसम्पत्तियाँ</b>			
अचल परिसम्पत्तियाँ	8	7,01,390.00	8,77,031.00
निवेश-उद्दिष्ट/अक्षय निधि से	9	-	-
निवेश-अन्य	10	1,06,55,904.00	82,25,129.00
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	1,40,25,688.00	3,48,45,316.00
विविध-व्यय (बट्टे खाते नहीं डालने या समायोजित नहीं करने की सीमा तक)		-	-
<b>कुल</b>		<b>2,53,82,982.00</b>	<b>4,39,47,476.00</b>

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ  
आकस्मिक दायित्व व लेखा सम्बन्धी  
टिप्पणियाँ

24

25

कृते-राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

निदेशक

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 23-06-2020



**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा**  
धनराशि (रु.)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>आय</b>			
सेवाओं/विक्री से आय	12	-	-
अनुदान/आर्थिक सहायता (सब्सिडी)	13	8,74,29,735.00	7,66,90,995.00
शुल्क/अंशदान	14	3,17,882.00	19,91,639.00
निवेश से आय (उद्दिष्ट/अक्षय निधि पर निवेश करने से आय। निधियों का निधियों में अन्तरण)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से होने वाली आय	16	7,58,353.00	5,51,632.00
अर्जित ब्याज	17	4,439.00	5,06,885.00
अन्य आय	18	772.00	3,315.00
तेयार माल के भण्डार और चालू कार्य में वृद्धि/ह्रास	19	58,485.00	-1,72,400.00
<b>कुल (क)</b>		<b>8,85,69,666.00</b>	<b>7,95,72,066.00</b>
घटाए: जीआईए अनुदान में अन्तरित		1,34,485.00	5,02,718.00
कुल (क) आन्तरिक सृजित राशि		<b>8,84,35,181.00</b>	<b>7,90,69,348.00</b>
<b>व्यय</b>			
स्थापना व्यय	20	7,33,38,026.00	6,65,18,196.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	1,39,87,549.00	1,00,40,384.00
अनुदान, आर्थिक सहायता पर खर्च	22	-	-
व्याज	23	-	-
मूल्यहास (वर्ष के अन्त में शुद्ध जोड़ अनुसूची 8 के तदनु रूप)		1,04,160.00	1,32,415.00
<b>कुल (ख)</b>		<b>8,74,29,735.00</b>	<b>7,66,90,995.00</b>
खर्च की तुलना में आय की अधिकता के कारण शेष (क-ख)		10,05,446.00	23,78,353.00
विशेष आरक्षित निधि में अन्तरित (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)			
सामान्य आरक्षित निधि में/उससे अन्तरण			
अधिशेष/(घाटे) से बचे शेष को समग्र/पूँजीगतनिधि में अग्रणीत किया गया		10,05,446.00	23,78,353.00

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

24

आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियाँ

25

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 23-06-2020

कृते-राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ  
निदेशक



### तुलनपत्र के लिए अनुसूचियाँ :

धनराशि (रु.)

अनुसूची-1- समग्र/पूँजीगतनिधि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	44,56,864.00		44,13,962.00	
जोड़ें- समग्र/पूँजीगतनिधि के लिए अंशदान	14,000.00	44,70,864.00	42,902.00	44,56,864.00
जोड़ें/(घटाएँ): आय एवं व्यय खाते से अन्तरित शुद्ध आय/(व्यय) का शेष				
वर्ष के अन्त में शेष		44,70,864.00		44,56,864.00

अनुसूची-2 आरक्षित और अधिशेष	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
सामान्य आरक्षित निधि (खर्च की तुलना में आय की अधिकता)				
पिछले खाते के अनुसार	37,68,022.00		13,89,669.00	
जोड़ें:-वर्ष के दौरान जोड़ा गया	10,05,446.00	47,73,468.00	23,78,353.00	37,68,022.00
कुल		47,73,468.00		37,68,022.00

	निधि अनुसार ब्यौरा		योग	
			चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची-3-निर्धारित/बन्दोबस्ती निधियाँ				
क) निधियों का प्रारम्भिक शेष	-		-	
ख) निधियों के लिए अतिरिक्त	-		-	
i) दान/अनुदान				
ii) निधियों से किए गए निवेश से आय				
iii) अन्य परिवर्धन				
कुल (क + ख)		-		-



i) पूँजीगत व्यय	-		-	
— अचल परिसम्पत्ति				
— अन्य				
कुल				
ii) राजस्व व्यय	-		-	
— वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि				
— किराया				
— अन्य प्रशासनिक व्यय				
कुल				
कुल (ग)		-		-
वर्ष के अन्त की स्थिति के अनुसार शुद्ध शेष— (क+ख+ग)				

#### टिप्पणियाँ

1. अनुदान से संबद्ध शर्तों के आधार पर संगत शीर्ष के अन्तर्गत प्रकटीकरण किए जायेंगे।
2. केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजनागत निधियों को पृथक निधियों के रूप में दिखाया जाना है और उसे किसी अन्य निधि के साथ मिश्रित नहीं किया जाना है।

अनुसूची-4-प्रतिभूति सहित ऋण एवं उधार	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्रीय सरकार	-		-	
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-		-	
3. वित्तीय संस्थाएं	-		-	
(क) मीयादी ऋण				
(ख) ब्याज उपार्जित एवं देय				
4. बैंक	-		-	
(क) मीयादी ऋण				
— उपार्जित ब्याज एवं देयता				
(ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)				
— उपार्जित ब्याज एवं देयता				
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियाँ	-		-	
6. ऋणपत्र एवं बॉण्ड	-		-	
7. अन्य (उल्लेख करें)	-		-	
कुल		-		-





अनुसूची-5 प्रतिभूति रहित ऋण एवं उधार	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्रीय सरकार	-		-	
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-		-	
3. वित्तीय संस्थाएं	-		-	
4. बैंक	-		-	
(क) मीयादी ऋण				
(ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)	-		-	
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियाँ	-		-	
6. ऋणपत्र एवं बॉण्ड	-		-	
7. सावधि जमा	-		-	
8. अन्य (उल्लेख करें)	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची-6 आस्थगित ऋण दायित्वताएं	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(क) पूँजीगत उपस्कर एवं अन्य परिसम्पत्तियों को दृष्टिबंधक रखकर रक्षित स्वीकृतियाँ	-		-	
(ख) अन्य	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची-7 मौजूदा दायित्वताएं एवं प्रावधान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(क) मौजूदा दायित्वताएं				
1. सांविधिक दायित्वताएं				
(क) भविष्य निधि में अंशदान				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	57,76,044.00		48,23,781.00	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	15,39,535.00		10,51,263.00	
घटाएं—वर्ष के दौरान आहरण	3,32,594.00	69,82,985.00	99,000.00	57,76,044.00
2. अन्य मौजूदा दायित्वताएं				
— अप्रयुक्त अनुदान (जीआईए सामान्य)	0.00		2,26,46,015.00	
— अप्रयुक्त अनुदान (जीआईए वेतन)	23,90,684.46		12,37,698.70	
अप्रयुक्त अनुदान (जीआईए स्वच्छ भारत अभियान)	2,61,882.00		1,12,102.00	
अप्रयुक्त अनुदान (जीआईए सीएमई)	6,00,000.00		-	



— समग्र निधियाँ (सेवानिवृत्ति)	44,54,650.00		38,96,036.00	
बयाना धनराशि	19,000.00		19,000.00	
— अन्य प्रभार शीर्ष	1,13,232.84		1,15,447.60	
— आयुष मंत्रालय को वापस किया जाने वाले जीआईए पर अर्जित ब्याज	5,46,048.00	83,85,497.00	13,61,633.00	2,93,87,932.00
<b>कुल (क)</b>		<b>1,53,68,482.00</b>		<b>3,51,63,976.00</b>
<b>(ख) प्रावधान</b>	<b>चालू वर्ष</b>		<b>पिछला वर्ष</b>	
1. कराधान के लिए	-		-	
2. ग्रेच्युटी	3,77,056.00		3,46,909.00	
3. अधिवर्षिता/पेंशन	-		-	
4. संचित अवकाश भुगतान	3,93,112.00		2,11,705.00	
5. व्यापार वारंटियां/दावे	-		-	
6. अन्य (उल्लेख करें)	-	7,70,168.00	-	5,58,614.00
<b>कुल (ख)</b>		<b>7,70,168.00</b>		<b>5,58,614.00</b>
<b>कुल (क + ख)</b>		<b>1,61,38,650.00</b>		<b>3,57,22,590.00</b>



वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20

## अनुसूची-8 : अवल सम्पत्ति वित्तीय वर्ष -2019-20

विवरण	मूल्य/आवक दर	वर्ष के प्रारम्भ में लागत/मूल्य/आवक	वृद्धि (30.09.2019 तक)	वृद्धि (30.09.2019 के बाद)	वर्ष के वित्तिय वर्ष के मूल्य/आवक	वर्ष के अन्त में लागत/मूल्य/आवक	वर्ष के अन्त में लाभ/हानि के अनुसार	वर्ष के अन्त में लाभ/हानि के अनुसार	वर्ष के अन्त में लाभ/हानि के अनुसार	वर्ष के अन्त में लाभ/हानि के अनुसार	वर्ष के अन्त में लाभ/हानि के अनुसार
(क) अवल परिसम्पत्ति											
1. सर्वसम्पत्ति एवं उपकरण	15%	1,02,103.08			9,899.08	62,504.00					
2. फर्नीचर एवं फिक्स्चर	10%	9,01,383.25	14,000.00		9,00,988.82	4,73,550.68					
3. कार्यालय उपकरण	15%	9,21,008.46			8,32,644.97	6,91,670.73					
4. कंप्यूटर एवं उससे सम्बन्धित उपकरण	40%	3,53,769.00			3,53,769.00	3,50,198.52					
5. पुस्तकालय की पुस्तकें	40%	3,95,609.09			3,95,609.09	3,78,618.04					
6. वायु-सिखान उपकरण	15%	3,29,391.56			2,12,706.40	1,79,064.12					
7. विद्युत उपकरण	15%	16,499.00			16,499.00	7,126.49					
मान्य वर्ष का योग		30,19,763.44	14,000.00	0.00	3,11,647.08	21,42,732.58					
(ख) पूंजीगत मान्य कार्य											
पिछता वर्ष		28,76,861.44	0.00	42,902.00	0.00	20,10,317.16					
कुल		30,19,763.44	14,000.00	-	3,11,647.08	21,42,732.58					

अतिरिक्त अवल परिसम्पत्ति का विवरण

क्रय करने की तारीख 30.04.2019 उपयोग किए गए 30.04.2019 घनराशि (रु. में) 14,000.00

फर्नीचर एवं फिक्स्चर



अनुसूची-9 निर्धारित/बन्दोबस्ती निधियों से किए गए निवेश	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-		-	
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-		-	
3. शेयरों में	-		-	
4. ऋण पत्रों एवं बंध पत्रों में	-		-	
5. सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों में	-		-	
6. अन्य (विनिर्दिष्ट की जानी हैं)	-		-	
<b>कुल</b>		-		-

अनुसूची-10 निवेश - अन्य	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. सावधि जमा				
- अंशदायी भविष्य निधि	62,02,186.00		44,69,411.00	
- समग्र निधि (सेवानिवृत्ति)	44,53,718.00	1,06,55,904.00	37,55,718.00	82,25,129.00
<b>कुल</b>		<b>1,06,55,904.00</b>		<b>82,25,129.00</b>

अनुसूची-11 मौजूदा परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
<b>क. मौजूदा परिसम्पत्तियाँ,</b>				
1. माल सूचियाँ				
- आयुर्वेदिक पुस्तकों का प्रकाशन	2,03,594.00	2,03,594.00	1,45,109.00	1,45,109.00
2. हस्तगत नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)	-		-	
3. बैंक शेष:-				
- जीआईए सामान्य	75,73,432.76		99,86,555.59	
- जीआईए वेतन	23,90,685.12		13,24,004.80	
- अंशदायी भविष्य निधि	7,80,799.00		13,06,633.00	
- समग्र निधि	7,71,100.00		6,98,932.00	
- जीआईए सामान्य (स्वच्छ भारत अभियान)	2,61,881.99		1,12,102.15	
- अन्य शुल्क-आरओटीपी	1,13,232.84		1,15,447.60	
- जीआईए सीएमई	6,00,000.00	1,24,91,132.00		1,35,43,675.00
<b>कुल (क)</b>		<b>1,26,94,726.00</b>		<b>1,36,88,784.00</b>





ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ				
1.नकद/अन्य प्रकार से वसूल किए जाने योग्य अग्रिम एवं अन्य धनराशियाँ				
– श्री एम.आर.गिरी से वसूली जाने वाली धनराशि	44,390.00		44,390.00	
– मोटर साइकिल अग्रिम	55,003.00		52,474.00	
– आकस्मिक अग्रिम	11,89,129.00		2,00,38,001.00	
– एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम	-		10,21,217.00	
– मकाओं को अग्रिम	41,990.00	13,30,512.00	-	2,11,56,082.00
– त्योहार अग्रिम				
– पिछले वर्ष के तुलनपत्र के अनुसार	450.00		450.00	
– घटाएं : वर्ष के दौरान वसूली गई धनराशि	-	450.00	-	450.00
<b>कुल (ख)</b>		<b>13,30,962.00</b>		<b>2,11,56,532.00</b>
<b>कुल (क +ख)</b>		<b>1,40,25,688.00</b>		<b>3,48,45,316.00</b>

### लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियाँ

धनराशि (रु.)

अनुसूची-12 विक्री से आय	वातु वर्ष	पिछला वर्ष
विक्री	-	-
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

अनुसूची-13 अनुदान/आर्थिक सहायता (सब्सिडी)	वातु वर्ष	पिछला वर्ष
(अटल अनुदान एवं प्राप्त आर्थिक सहायता(सब्सिडी))		
1. केन्द्रीय सरकार-		
जीआईए सामान्य		
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे लाई गई	2,26,46,015.00	-
जोड़ें-वातु वर्ष का आन्तरिक सृजन	1,34,485.00	-



जोड़ें-सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	5,71,54,000.00		9,48,00,000.00	
कुल सहायता अनुदान	7,99,34,500.00		9,48,00,000.00	
घटाएं - अनुदान पूंजीकृत	14,000.00		42,902.00	
	7,99,20,500.00		9,47,57,098.00	
घटाएं -अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	0.00	7,99,20,500.00	2,26,46,015.00	7,21,11,083.00
<b>जीआईए वेतन</b>				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे ली गई	12,37,699.46		52,26,994.70	
जोड़ें-चालू वर्ष का आन्तरिक सृजन	-		5,02,718.00	
सरकार से प्राप्त अनुदान	86,12,000.00		-	
कुल सहायता अनुदान	98,49,699.46		57,29,712.70	
घटाएं -अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	23,90,684.46	74,59,015.00	12,37,698.70	44,92,014.00
<b>जीआईए सीएगई</b>				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे ली गई	-		-	
सरकार से प्राप्त अनुदान	6,00,000.00		-	
कुल सहायता अनुदान	6,00,000.00		-	
घटाएं - अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	6,00,000.00	-	-	-
<b>जीआईए सामान्य - स्वच्छ भारत अभियान</b>				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे लाई गई	1,12,102.00		2,00,000.00	
सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	2,00,000.00		-	
कुल सहायता अनुदान	3,12,102.00		2,00,000.00	
घटाएं -अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	2,61,882.00	50,220.00	1,12,102.00	87,898.00
<b>कुल</b>		<b>8,74,29,735.00</b>		<b>7,66,90,995.00</b>

अनुसूची-14-शुल्क/अंशदान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. आवेदन शुल्क* (पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से प्राप्त)	3,17,882.27	3,17,882.00	19,91,638.80	19,91,639.00
<b>कुल</b>		<b>3,17,882.00</b>		<b>19,91,639.00</b>

\* आवेदन शुल्क की कुल आय रुपये 13,64,523.27/- में से जोकि रुपये 10,46,641/- का 7वीं सीपीसी बकाया की प्रभाव से वेतन शीर्ष में स्थानांतरित कर दिया गया है।



अनुसूची-15 निवेश से आय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
(उद्दिष्ट/बन्दोबस्ती निधियों के निवेश से निधि में आय का अन्तरण)				
1. ब्याज	-		-	
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
ख) अन्य बंध पत्रों (बाण्डों)/ऋणपत्रों (डिबेंचर) पर				
2. लामांश	-		-	
क) शेयरों पर				
ख) म्यूचुअल फण्ड सिक्युरिटीज पर				
3. किराया	-		-	
4. अन्य (उल्लेख करें)	-		-	
कुल		-		-

अनुसूची-16-रॉयल्टी, प्रकाशन से आय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. रॉयल्टी से आय	-		-	
2. प्रकाशन से आय	7,54,015.00		5,51,632.00	
3. अन्य (उल्लेख करें)	4,338.00	7,58,353.00	-	5,51,632.00
कुल		7,58,353.00		5,51,632.00

अनुसूची-17-अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. बजट खातों एवं सावधि जमाओं पर :				
(क) अनुसूचित बैंकों में-भारतीय स्टेट बैंक**	-		-	
(ख) सावधि जमाओं पर ब्याज	-	-	5,02,718.00	5,02,718.00
2. अन्य प्राप्तियों पर				
(क) शिक्षावृत्ति	1,910.00		1,638.00	
(ख) मोटर साइकिल अग्रिम	2,529.00	4,439.00	2,529.00	4,167.00
कुल		4,439.00		5,06,885.00

\*\*जीआईए सामान्य पर अर्जित ब्याज रुपये 5,46,048/- अनुसूची 7, वर्तमान देनदारियों के तहत आयुष मंत्रालय के प्रति उत्तरदायित्व के रूप में माना जाता है।



अनुसूची-18-अन्य आय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(क) वेतन/शिक्षावृत्ति की वसूली	-		558.00	
(ख) विविध आय	772.00	772.00	2,757.00	3,315.00
कुल		772.00		3,315.00

अनुसूची-19-तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(क) प्रकाशित आयुर्वेदिक पुस्तकों के भण्डार का समापन।	2,03,594.00		1,45,109.00	
(ख) घटाएं- प्रकाशित आयुर्वेदिक पुस्तकों के भण्डार का अधशेष।	1,45,109.00	58,485.00	3,17,509.00	-1,72,400.00
शुद्ध वृद्धि (कमी) (क-ख)		58,485.00		-1,72,400.00

अनुसूची-20-स्थापना व्यय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
<u>जीआईए सामान्य</u>				
(क) मजदूरी	21,55,317.00		11,06,628.00	
(ख) वजीफा/शिक्षावृत्ति				
— शिष्यों को शिक्षावृत्ति	4,26,17,042.00		3,46,99,173.00	
(ग) व्यावसायिक सेवाएं				
— गुरुजनों को मानदेय	2,08,18,922.00		2,60,47,741.00	
— लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/व्यावसायिक शुल्क	2,87,730.00	6,58,79,011.00	1,72,640.00	6,20,26,182.00
<u>जीआईए वेतन</u>				
(क) वेतन				
— वेतन व्यय	66,87,713.68		38,33,730.90	
— अन्य भत्ते	1,133.00		99,669.00	
— कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ	7,70,168.00	74,59,015.00	5,58,614.00	44,92,014.00
कुल		7,33,38,026.00		6,65,18,196.00

अनुसूची-21: अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
<u>जीआईए सामान्य</u>				
(क) कार्यालय व्यय				
— बैंक प्रसार	4,370.10		9,061.55	
— विविध व्यय	1,30,894.00		3,81,632.00	
— चिकित्सा व्यय	36,585.00			





— मरम्मत और रखरखाव	64,027.00		99,399.00	
— समाचारपत्र एवं पत्र-पत्रिकाएं	8,052.00		10,812.00	
— विद्युत एवं ऊर्जा	2,66,870.00		2,38,340.00	
— जल प्रभार	39,533.00		61,756.00	
— डाक प्रभार	-		5,366.00	
— दूरभाष एवं संचार प्रभार	40,612.00		38,156.00	
— किराया, दर एवं कर	9,98,421.00		10,61,493.00	
(ख) प्रकाशन				
— स्वीकृत छूट	2,40,798.00		1,63,601.00	
— मुद्रण एवं लेखन सामग्री	5,09,751.00		2,09,599.00	
(ग) घरेलू यात्रा				
— यात्रा एवं वाहन व्यय	21,58,713.00		11,43,153.00	
(घ) विदेश यात्रा				
— यात्रा और वाहन व्यय	4,24,330.00		41,950.00	
(ङ) अन्य प्रशासनिक व्यय				
— शोध प्रबन्ध एवं परीक्षा				
पारिश्रमिक/बैठक-प्रभार/मानदेय/बैठक शुल्क	2,80,040.00		2,19,140.00	
— राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस	17,12,782.00		21,07,918.00	
— प्रत्यायन	6,15,834.00		5,38,706.00	
— सम्भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम	4,40,774.00		-	
— प्रशिक्षण कार्यक्रम- पुणे	4,72,043.00		-	
— प्रशिक्षण कार्यक्रम- अहमदाबाद	3,82,704.00		-	
— सूचना प्रौद्योगिकी	14,36,966.00		-	
— दीक्षांत व्यय/सम्मेलन व्यय	17,93,645.00		30,66,095.00	
— अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर नुकसान	56,481.35		-	
(च) विज्ञापन एवं प्रचार				
— विज्ञापन व्यय	18,23,104.00	1,39,37,329.00	5,56,308.00	99,52,486.00
जीआईए सामान्य-स्वच्छ भारत अभियान				
— स्वच्छ भारत अभियान	50,220.16	50,220.00	87,897.85	87,898.00
कुल		1,39,87,549.00		1,00,40,384.00

अनुसूची-22: अनुदान, सन्निधि इत्यादि पर व्यय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क) संस्था/संगठनों को दिया गया अनुदान	-		-	
ख) संस्था/संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता	-		-	
कुल		-		-



अनुसूची-23: ब्याज	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क) सावधि ऋणों पर	-		-	
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार को सम्मिलित करते हुए)	-		-	
कुल		-		-



वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20

### 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे

धनराशि (रु)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>प्रारम्भिक शेष</b>	-	-	<b>I. व्यय</b>	-	-
भारतीय स्टेट बैंक-सामान्य	99,86,555.59	44,97,228.34	क) स्थापना व्यय (अनुसूची-20)	7,25,67,857.68	6,59,59,581.90
भारतीय स्टेट बैंक-वेतन	13,24,004.80	6,43,036.00	ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-21)	1,39,31,068.26	1,00,40,383.40
भारतीय स्टेट बैंक					
सामान्य स्वच्छ भारत अभियान	1,12,102.15	2,00,000.00			
भारतीय स्टेट बैंक में कॉर्पोरेट	6,98,932.00	2,00,000.00	<b>II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि से किया गया भुगतान</b>		
भारतीय स्टेट बैंक अन्य व्यय	1,15,447.00	2,46,645.30			
<b>II. प्राप्त अनुदान</b>			<b>III. किए गए निवेश एवं जमा</b>		
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त अनुदान			क) उरुषि/अक्षय निधि में से	6,98,000.00	-
क) सामान्य	5,71,54,000.00	9,48,00,000.00	<b>IV. अचल परिसम्पत्ति/पूँजीगत प्रगति पर व्यय</b>		
ख) वेतन	86,12,000.00	-	क) अचल सम्पत्ति का क्रय	14,000.00	42,902.00
ग) स्वच्छ भारत अभियान	2,00,000.00	-	ख) पूँजीगत प्रगति पर व्यय	-	-
<b>III. निवेशों से आय</b>			<b>V. अधिशेष धनराशि/अग्रिम की वापसी</b>		
क) अचल सम्पत्ति का विक्रय	29,000.00	-			
<b>IV. प्राप्त ब्याज</b>			<b>VII. विरत प्रसार (आय)</b>		
क) संचित खाते से प्राप्त ब्याज	5,46,048.00	13,61,633.00	<b>VII. अन्य भुगतान</b>		
ख) शिक्षावृत्ति वसूली से प्राप्त ब्याज	1,910.00	1,638.00	क) आकस्मिक एवं अन्य अग्रिम	24,20,390.00	2,16,96,306.00
<b>V. अन्य आय</b>			ख) अन्य प्रभार शीर्ष	20,02,214.76	21,36,604.70
क) वेतन/शिक्षावृत्ति की वसूली	-	558.00	ग) संचित खाता ब्याज मंत्रालय को वापिस कर दिया गया	13,61,633.00	-
ख) विविध आय	772.00	2,757.00	घ) मकाओ को अग्रिम	41,990.00	-
ग) आवेदन शुल्क	3,17,882.27	19,91,638.80	ङ) दीक्षांत अग्रिम	-	7,81,952.00
घ) पुस्तकों की बिक्री	7,54,015.00	5,51,632.00	च) अग्रिम धन	-	27,185.00
ङ) डाक आय	4,338.00	-	छ) जीआईए में हस्तान्तरण	-	7,80,907.00
<b>VI. उधार जी गई धनराशि</b>			<b>अग्रिम शेष</b>		
क) बयाना राशि	-	11,000.00	भारतीय स्टेट बैंक - सामान्य	75,73,432.76	99,86,555.59
ख) आकस्मिक एवं अन्य अग्रिम	2,12,69,262.00	17,91,305.00	भारतीय स्टेट बैंक - कॉर्पोरेट	7,71,100.00	6,98,932.00
ग) अन्य प्रभार शीर्ष	20,00,000.00	20,05,407.00	भारतीय स्टेट बैंक-वेतन	23,90,685.12	13,24,004.80



वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20

घ) एनआईसीएसआई से अग्रिम	10,21,217.00	-	भारतीय स्टेट बैंक सामान्य स्वच्छ भारत अभियान	2,61,881.99	1,12,102.15
ड) दीक्षांत अग्रिम	-	7,81,952.00	भारतीय स्टेट बैंक-अन्य व्यय	1,13,232.84	1,15,447.60
			भारतीय स्टेट बैंक-सीएमई	6,00,000.00	-
कुल	10,47,47,486.41	11,37,02,864.14	कुल	10,47,47,486.41	11,37,02,864.14

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 23-06-2020

कृते-राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ  
निदेशक





## अंशदायी भविष्य निधि

### 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

दायित्व		धनराशि	परिसम्पत्तियाँ		धनराशि (रु)
अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान (कर्मचारियों का)	-		बैंक में शेष	-	
पिछले वर्ष के अनुसार	32,21,732.00		सावधि जमा में		62,02,186.00
जोड़े-वर्ष के दौरान	7,33,530.00		बचत खाते में		7,80,799.00
घटाएँ-आहरण	2,69,736.00				
जोड़े-कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	2,71,008.00	39,56,534.00			
अंशदायी भविष्य निधि में योगदान (नियोक्ता का)	-				
पिछले वर्ष के अनुसार	25,54,312.00				
जोड़े-वर्ष के दौरान	3,37,450.00				
घटाएँ-निकासियाँ	62,858.00				
जोड़े-नियोक्ता के अंशदान पर ब्याज	1,97,547.00	30,26,451.00			
कुल		69,82,985.00	कुल		69,82,985.00

### 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय के लेखे

व्यय		धनराशि	आय		धनराशि
कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	2,71,008.00		बैंक से ब्याज		15,031.00
नियोक्ता के योगदान पर ब्याज	1,97,547.00	4,68,555.00	सावधि जमा पर ब्याज		5,32,775.00
नियोक्ता के योगदान		3,37,450.00	राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ का अंशदान		2,58,199.00
कुल		8,06,005.00	कुल		8,06,005.00



वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20

### 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे

प्राप्तियाँ		धनराशि	भुगतान		धनराशि
<b>प्रारम्भिक शेष</b>					
अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	32,21,732.00	57,76,044.00	सुश्री तुश्री भारद्वाज		1,32,594.00
अंशदायी भविष्य निधि में योगदान	25,54,312.00		सुश्री दीपा सूद		2,00,000.00
कर्मचारियों का अंशदान / वापसी	7,33,530.00	10,70,980.00	<b>बैंक में शेष</b>		
नियोक्ता का योगदान	3,37,450.00		अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	39,56,534.00	69,82,985.00
कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	2,71,008.00	4,68,555.00	अंशदायी भविष्य निधि में योगदान	30,26,451.00	
नियोक्ता के योगदान पर ब्याज	1,97,547.00				
<b>कुल</b>		<b>73,15,579.00</b>	<b>कुल</b>		<b>73,15,579.00</b>

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 23-06-2020

कृते-राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ  
निदेशक



## **अनुसूची -24 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ**

### **1. लेखा परिपाटी**

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी, जहाँ कहीं भी अन्यथा कहा गया और लेखा प्रणाली की प्रोद्भवन विधि के आधार पर तैयार किए गए हैं।

### **2. माल-सूची मूल्यांकन :**

मालसूची बहियों का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया गया है।

### **3. अचल परिसम्पत्तियाँ**

i) अचल परिसम्पत्तियाँ, अधिग्रहण की लागत के अनुसार बताई गई हैं, जिनमें अधिग्रहण से संबंधित करों, भाड़े और प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया गया है।

ii) गैर-मौद्रिक अनुदानों के जरिए प्राप्त अचल परिसम्पत्तियों को सामान्य निधि के लिए तत्सम्बन्धी ऋण द्वारा बताए गये मूल्य पर पूँजीकृत किया गया है।

### **4. सरकारी अनुदान**

अचल परिसम्पत्तियों की खरीद के संबंध में सरकारी अनुदान पूँजीकृत अनुदान के रूप में माने गए हैं।

### **5. राजस्व मान्यता**

i) पुस्तकों की बिक्री में व्यापार संबंधी कटौती एवं छूट शामिल है।

ii) सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) पर प्राप्त ब्याज को लेखा बहियों में समायोजित नहीं किया गया है क्योंकि इनपर परिपक्वता अवधि में विचार किया जाता है।

### **7. मूल्यहास**

अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास की गणना आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार की गई हैं।

**कृते-राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ**

**निदेशक**

**स्थान : नई दिल्ली**

**दिनांक : 23-06-2020**



## **अनुसूची -25 : आकस्मिक देयताएं और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियाँ**

### **1 चालू दायित्व**

जीआईए सामान्य, जी.आई.ए. एसएपी, जीआईए वेतन और जीआईए सीएमई के लिए व्यय के अन्तर्गत अप्रयुक्त अनुदान को चालू दायित्व के रूप में दिखाया गया है।

### **2 चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम राशि**

चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम राशि का व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में वसूली संबंधी एक मूल्य होता है, जो कम से कम तुलनपत्र में दर्शायी गई कुल धनराशि के बराबर होता है।

3 जहाँ-कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के तत्सम्बन्धी आंकड़े पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किए गये हैं।

4 चालू वर्ष के आंकड़ों को रुपयों में पूर्णांकित किया गया है और अनुरूपता बनाए रखने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को 31-03-2020 तक लिया गया है।

5 अनुसूची 1 से 25 संलग्न कर दिये गए हैं और ये 31-03-2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय लेखों का एक अभिन्न अंग हैं।

6 वित्त वर्ष 2011-12 से अचल परिसम्पत्तियों की पहचान की विधि हासिल मूल्य (डब्लू.डी.वी.) से बदल कर सकल ब्लॉक (कुल परिसम्पत्तियों) की गई है और डब्लू.डी.वी. पर वित्तीय वर्ष 2011-12 में सकल ब्लॉक के रूप में 31.03.2010 (मूल्यह्रास से पहले)।

7 वर्ष 2007-2008 से मोटर साइकिल अग्रिम पर 10% की दर से साधारण ब्याज लगाया जाता है। अग्रिम में 25,292/-रुपये की मूल धनराशि और उस पर प्रोद्भूत 29,711/-रुपये का ब्याज शामिल है।

8 चालू परिसम्पत्तियों के शीर्ष के तहत 13,30,962/- रुपये के ऋण एवं अग्रिम की अभी वसूली होनी है।

9 डाक आया रुपये 12,304/- को अनुसूची संख्या 21 (जीआईए सामान्य) के तहत डाक खर्चों के खिलाफ समायोजित किया गया है।

10 7वीं सीपीसी के प्रभाव के कारण रुपये 10,46,641/- को आंतरिक पीढ़ियों से वेतन प्रमुख में स्थानांतरित किया गया है।






- 11 वर्ष 2019-20 के दौरान सेवानिवृत्ति कॉर्पस की ओर कुल देयता रुपये 7,70,168/- जीआईए वेतन से स्थानांतरित किया गया है।
- 12 आंतरिक सृजन रुपये 1,34,485/- को वर्तमान वर्ष के व्यय को पूरा करने के लिए स्थानांतरित किया गया है।

कृते-राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ  
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 23-06-2020



(From Left to Right) Dr. Anupam, Director, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, Vaidya Rajesh Kotecha, Secretary, Ministry of Ayush and Vaidya Manoj Nesari, Advisor (Ayurveda), Ministry of Ayush Releasing The Souvenir of National Seminar on "Ayurveda for Longevity" of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth held on 5<sup>th</sup> March, 2020 at Vigyan Bhawan, New Delhi.



Lighting of the Lamp (From Right to Left) by Shri Shripad Yesso Naik, Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Ayush, Shri Pramod Kumar Pathak, Additional Secretary, Ministry of Ayush, Vaidya Manoj Nesari, Advisor (Ayurveda), Ministry of Ayush, Dr. Anupam, Director, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth and 'Padmabhushan' Vaidya Devinder Triguna, President, Governing Body of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth Inaugurating the Convocation Function of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth held on 6<sup>th</sup> March, 2020 at Vigyan Bhawan, New Delhi.



(From Left to Right) Dr. Anupam, Director, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, Vaidya Jayant Y. Deopujari, President, CCIM, New Delhi, 'Padmabhushan' Vaidya Devinder Triguna, President, Governing Body of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, Shri Shripad Yesso Naik, Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Ayush, Shri Pramod Kumar Pathak, Additional Secretary, Ministry of Ayush and Vaidya Manoj Nesari, Advisor (Ayurveda), Ministry of Ayush Inaugurating the Convocation Function of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth by Singing The National Anthem held on 6<sup>th</sup> March, 2020 at Vigyan Bhawan, New Delhi.



(Clockwise) Shri Shripad Yesso Naik, Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Ayush, Vaidya Manoj Nesari, Advisor (Ayurveda), Ministry of Ayush and Shri Pramod Kumar Pathak, Additional Secretary, Ministry of Ayush Presenting the Memento in the Convocation Function of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth held on 6<sup>th</sup> March, 2020 at Vigyan Bhawan, New Delhi.



## CONTENT

S. No.	Subject	Page No.
	<i>Preface</i>	67
1-	<i>Introduction</i>	69
2-	<i>Objectives of the Vidyapeeth</i>	69
3-	<i>Committees</i>	70
	<i>(i) Governing Body</i>	70
	<i>(ii) Standing Finance Committee</i>	72
4-	<i>Functions of the Vidyapeeth</i>	73
	<i>(i) Guru Shishya Parampara</i>	73
	<i>(ii) Convocation</i>	79
	<i>(iii) Awards of Fellowship &amp; Life Time Achievement</i>	80
	<i>(iv) Conferences/Seminars</i>	81
	<i>(v) Interactive Workshops</i>	81
	<i>(vi) Samhita based training programme</i>	82
	<i>(vii) Charak Ayatanam (6-days programme)</i>	83
	<i>(viii) Publications</i>	83
5-	<i>Technical Report (Activities conducted during the year 2019-20)</i>	83
	<i>(i) Meetings</i>	83
	<i>(ii) Courses of Guru Shishya Parampara</i>	86
	<i>(iii) Samhita based training programme</i>	96
	<i>(iv) Publications/Sale of Books</i>	97
	<i>(v) Other activities</i>	97
6-	<i>Budget &amp; Expenditure</i>	101
7-	<i>Separate Audit Report</i>	102
8-	<i>Accounts</i>	106
	<i>(i) Balance Sheet as on 31-3-2020</i>	106
	<i>(ii) Income &amp; Expenditure Account as on 31-3-2020</i>	107





(iii) Schedules forming part of Balance Sheet as on 31-3-2020	108
(iv) Receipt & payments Account as on 31-3-2020	117
(v) Contributory Provident Fund- Receipts & Payments Accounts, Income & Expenditure Accounts and Balance Sheet as on 31-3-2020	119
(vi) Significant Accounting Policies	121
(vii) Contingent Liabilities and Notes on Accounts	122



## PREFACE

Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (RAV), an autonomous organization under Ministry of AYUSH, Govt. of India was constituted in 1988 with an objective of revival of classical practical and textual knowledge of Ayurveda through ancient Gurukula method of learning. The targeted learners here are the fresh graduates and post graduates of Ayurveda still desirous of making themselves more proficient in classical Ayurvedic practices and principles. MRAY (Member of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth) and CRAY (Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth) are two such courses which have been started by RAV to fulfill the objectives of making Ayurvedic students more versed with classical practical and textual knowledge. So far about 1061 and 71 students have completed their CRAY and MRAY respectively. For the session 2019-20, 138 students are being trained under 57 Gurus. Students receive practical training in various disciplines of Ayurveda under the guidance of RAV empanelled scholars of Ayurveda throughout the country.

In view of underutilization of Ayurvedic classical methods of patient examination and subsequent treatment, RAV after perceiving the gap, has started a programme to train Ayurvedic teachers in classical diseases diagnostic methods. The focus here is on young faculties belonging to the clinical branches in order to make them proficient in such methods for its subsequent use in their clinical practice. So far, total 19 such diagnostic training programmes have been conducted at various places in the country by the year 2019-20.

During the year 2019-20, Vidyapeeth conducted its 23<sup>rd</sup> convocation along with regular activity of two days National seminar. The occasion was graced by Hon'ble Minister of AYUSH (IC) Shri Shripad Yesso Naik and Vaidya Rajesh Kotecha, Secretary, Ministry of AYUSH. This year, the seminar was conducted on 'Ayurveda for Longevity'. The seminar was attended by many distinguished authorities of Ayurveda. The event was marked by key note addresses on various topics by eminent scholars of Ayurveda and research paper presentation by research scholars of Ayurveda. About 17 research papers have been presented in the seminar along with 02 Poster presentations. A souvenir containing full text of all the 19 papers was also released at the occasion.



RAV also functions as a nodal agency to the Central Sector Scheme for Continuing Medical Education (CME). After review of CME proposals, total 54 CMEs materialized during 2019-20.

RAV is also evolving many new mechanisms to strengthen its various activities of imparting training in Ayurveda. It is also continuously finding the gaps in existing system and explores the ways to fill these gaps. A regular monitoring of RAV activities is also being done through various feedback and midterm appraisal mechanisms. RAV is continuously striving to excel in its field. It is striving to emerge as a dedicated centre of excellence in the area of Ayurveda skill enhancement and capacity building. RAV is taking many new initiatives in this direction which are supposed to give fruits in future. The annual report for the year 2019-20 on the activities and achievements of the Vidyapeeth along with the audit report is being presented.

**(Dr. Anupam Srivastva)**

**Director**



## INTRODUCTION

Rashtriya Ayurved Vidyapeeth (RAV) is an autonomous organization under the Ministry of AYUSH, Govt of India. It is fully funded by the Government of India. It is registered with the Registrar, Societies, Delhi Administration under Societies Registration Act, 1860 vide 11<sup>th</sup> February 1988. It started functioning from the year 1991 at Dhanwantari Bhawan, Road No. 66, Punjabi Bagh (West), New Delhi -110 026.

The Vidyapeeth was established with the main aim to preserve and arrange transfer of Ayurvedic knowledge possessed by eminent ayurvedic scholars and practitioners, to the younger generation through the Indian traditional Guru –Shishya method of education and knowledge transfer. The principal objective is to make new generation Ayurveda scholars proficient in Ayurvedic classical texts and clinical practices.

## 2. THE OBJECTIVES OF THE VIDYAPEETH

1. To promote the knowledge of Ayurveda.
2. To formulate schemes for continuing education and conducting examinations for the purpose in various disciplines of Ayurveda.
3. To institute due recognition to successful candidates.
4. To recognize and encourage merit in various branches of Ayurveda.
5. To undertake academic work in Ayurveda of National & International importance.
6. To organize workshops and seminars in various branches of Ayurveda.
7. To maintain liaison with professional associations, Societies, Colleges and Universities for raising standards of Ayurvedic Education.
8. To secure and manage funds and endowments for the promotion of Ayurveda and implementation of continuing education in Ayurveda.
9. To conduct experiments of new methods of Ayurvedic education in order to arrive at satisfactory standards of education.





10. To institute professorships, other faculty position fellowships, research cadre positions and scholarships etc. for realizing the objectives of the Vidyapeeth, etc.

### **3. COMMITTEES**

#### **3.1. GOVERNING BODY**

As per Memorandum of Association and orders of Government of India, the affairs of the Vidyapeeth are managed by its Governing Body consisting of 16 members including the President. The Governing Body (GB) was reconstituted by the Government of India as under for a period of five (5) years w.e.f. 20<sup>th</sup> February, 2019.

##### **President of Governing Body**

1. **'Padmabhusan' Vaidya Devinder Triguna,**  
30 – Sukhdev Vihar,  
New Delhi -110 025

##### **Government of India Nominees (Ex-officio)**

2. **Additional Secretary & FA,**  
Ministry of Health & F.W.,  
New Delhi
3. **Additional Secretary (AYUSH),**  
Ministry of AYUSH,  
New Delhi
4. **Adviser (Ayurveda),**  
Ministry of AYUSH,  
New Delhi
5. **Vice Chancellor,**  
Gujarat Ayurved University,  
Jamnagar (Gujarat)



**Experts nominated by Government of India.**

6. **Vd. Pramod P. Sawant,**  
Hon'ble Chief Minister,  
Civil Secretariat  
Panaji (Goa)
7. **Dr. K.K. Aggarwal,**  
Jaipur (Rajasthan)
8. **Dr. Subhash Ranade,**  
Pune (Maharashtra)
9. **Dr. Varsha Deshpande,**  
Karad (Maharashtra)
10. **Dr. Rajesh Gupta,**  
Sawantwadi (Maharashtra)

**Members nominated by All India Ayurveda Congress (AIAC)**

11. **Dr. Rakesh Sharma**  
Chandigarh (Punjab)
12. **Vd. Dinanath Upadhyay,**  
Pune (Maharashtra)
13. **Vd. Govind Prasad Upadhyay,**  
Nagpur (Maharashtra)

**One Member from Fellows of RAV**

14. **Vd. Sadanand P. Sardeshmukh,**  
Pune (Maharashtra)



### **One Member from alumni of RAV**

15. **Dr. Mohan Lal Jaiswal,**  
Jaipur (Rajasthan)

### **Member Secretary**

16. **Director, RAV**

## **3.2. STANDING FINANCE COMMITTEE**

The Ministry of AYUSH reconstituted Standing Finance Committee (SFC) on 20<sup>th</sup> January, 2019 for 05 years, co-terminus with the tenure of the Governing Body. The composition of SFC is as follows:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. <b>Additional Secretary (AYUSH),</b><br>Ministry of AYUSH,<br>AYUSH Bhawan,<br>'B' Block, GPO Complex, INA,<br>New Delhi-110 023   | Chairman (Ex-officio) |
| 2. <b>Additional Secretary &amp; FA or<br/>his representative,</b><br>Ministry of Health & F.W.,<br>Nirman Bhawan,<br>New Delhi-110 011   | Member (Ex-officio)   |
| 3. <b>Adviser (Ayurveda), Or<br/>Joint Adviser (Ayurveda), Or<br/>Deputy Adviser</b><br>Ministry of AYUSH,<br>AYUSH Bhawan, 'B' Block,<br>GPO Complex, INA,<br>New Delhi- 110 023 | Member (Ex-officio)   |



- |  |                    |
|--|--------------------|
| <b>4. Vaidya Dinanath Upadhyay,</b><br>(A member of GB from experts)<br>Pune (Maharashtra) | Member (Nominated) |
| <b>5. Dr. Varsha Deshpande,</b><br>(A member of GB from experts)<br>Karad (Maharashtra)    | Member (Nominated) |
| <b>6. Director,</b><br>Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth                                       | Member Secretary   |

#### **4. FUNCTIONS OF THE VIDYAPEETH**

In furtherance of its objectives, the Vidyapeeth runs two types of courses under Guru Shishya Parampara viz. CRAV and MRAV. To run these courses, it empanels eminent scholars of Ayurveda and Vaidyas as Gurus and select shishyas having formal qualifications in Ayurveda desired for the courses. Besides this, Vidyapeeth also holds seminars/workshops, publishes literature and offers recognition/felicitation to the eminent scholars of Ayurveda.

##### **4.1. GURU SHISHYA PARAMPARA**

Guru Shishya Parampara is the traditional residential method of education wherein the Shishya lives in the vicinity of his Guru and undertakes the studies in a one to one manner by accompanying the guru in his regular routine clinical work. This system vanished with the disappearance of Gurukula. RAV realized that in Ayurveda, this method of knowledge transfer had been very effective and hence the Vidyapeeth is making efforts to revive this system through its courses.

In institutional form of learning only relevant portions of the Samhitas (classical texts of Ayurveda) are being taught in the form of syllabus. On the contrary, the Guru Shishya Parampara programme of RAV provides the students to study whole text to get adequate knowledge of selected Samhita and its Teeka (commentary) and exposes them traditional skills of the Ayurvedic practices. The Shishyas get sufficient time for interaction with the





guru and get a live demonstration upon the patients, herbs or formulations during the course of the study.

#### 4.1.1. COURSES:

**(A) Acharya Guru Shishya Parampara** (Two-year course of Member of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth) (MRAV)

This is an academic programme based upon literary research imparting the knowledge of Ayurvedic Samhitas and commentaries to participants. The main aim of this course is to prepare good teachers, research scholars and experts in Ayurveda Samhitas. The Shishya studies the Samhita, related to his/her specialization in PG course, under the guidance of the Guru for a period of 2 years. The Vidyapeeth started this course in 1992 with an objective of preparing the post graduate doctors as experts in classical texts of Ayurveda.

Candidates possessing adequate theoretical and practical knowledge and good understanding of Sanskrit are admitted to this course. At the end of the course they are required to submit a dissertation, which is regarded as a contribution of the Shishya. Though the Shishya studies the entire Samhita (text) under the expert guidance of Guru, he/she writes dissertation only on prescribed chapters/topics as suggested by Vidyapeeth in consultation with respective Guru in order to avoid duplication of the same work.

**(B) Chikitsak Guru Shishya Parampara** (One-year course of Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth) (CRAV)

This course was started in February 1999. This course has the duration of one year for both Ayurvedic graduates and postgraduates. In this course, the candidates possessing Ayurvedacharya (BAMS) or equivalent degree/ PG in Ayurveda are selected for training under eminent practicing Vaidyas, who are empanelled as Chikitsak Gurus. During the course of study, the students learn the procedures like Nadi Pariksha, Aushadhi Nirman, Kshar Sutra, Panchakarma, treatment of diseases, Netra Chikitsa, Asthi Chikitsa pertaining to the Ayurvedic system. Every month, the trainees are required to prepare record of the patients they studied for its subsequent submission to RAV. The work done by the Shishyas like patient history sheets, monthly study reports



etc. is examined in Vidyapeeth. Suggestions for improvement are communicated to the Shishyas through their respective Gurus.

#### **4.1.2. GURUS:**

##### **(A) Guru for Member of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (MRAV) course:**

**Scholars fulfilling the following criteria are appointed as Gurus-**

A person is eligible to be appointed as Guru for MRAV course, who is a retired Professor of Ayurveda possessing PG or PhD qualification with good published recognized research work and excellent academic experience Or a retired Director of Research Institution of Ayurveda Or any other person of eminence in Ayurveda having held the post of departmental head of the State, Central/Autonomous organization and other office of repute with vast knowledge and adequate experience in academic or any specialty of Ayurveda Or eminent scholar of Ayurveda.

The Guru should be above 60 years of age, proficient in Sanskrit and in classical texts of Ayurveda. Further, he/she must have very special knowledge and skills to justify selection. In the subject of Dravyaguna, Rasa-Shastra, Bhaishjya Kalpana and other clinical subjects, the Gurus should have basic facility for demonstration or should have access to such facility/Institution in the near vicinity.

##### **(B) Guru for Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (CRAV) course**

###### **Eligibility criteria for Gurus (CRAV)**

**Following two eligibility criteria have been adopted for selection of CRAV Gurus:**

1. Criteria for Individual Gurus.
2. Criteria for Institutional Gurus.

###### **1. Criteria for Individual Gurus.**

- i. Ayurveda practitioners having enrolment on any State Register of Indian Medicine under Section 17 of IMCC Act, 1970.



- ii. Age should be above 50 years.
- iii. Practitioners with at least 20 years of experience of pure Ayurvedic clinical practice mainly with classical medicines and having own Ayurvedic practice in any of the branches of Ayurveda.
- iv. Practitioner shall not be employed in any Ayurvedic college and attached hospital or any other hospital on regular basis other than honorary basis.
- v. Ayurveda practitioners aspiring to be a CRAV Guru should have minimum OPD of 25 patients per day.
- vi. In case of surgical practice, besides OPD of 15 patients per day, the Vaidya must be performing at least 5 surgical procedures daily.
- vii. In case of Ayurvedic Pharmacy, the Vaidya should have own pharmacy and should have an experience of preparation of Ayurvedic formulations for at least 20 years.
- viii. Willingness to train the young Ayurvedic doctors and provide them hands-on training and share own knowledge and skills without any reservation.
- ix. Gurus under this category can be given up to 2 students. If they have in patient facility of 10 beds and above, they may be given up to 4 students.

## **2. Criteria for Institutional Gurus (Institutional Training Centers).**

- a. Centre for excellence declared by Ministry of AYUSH.
- b. Ayurvedic hospital with at least 50 beds and 200 out patients per day.
- c. Hospital having minimum 10 years of existence. However, the Guru who is designated as the in-charge of the training should have minimum experience of at least 20 years.
- d. The institution should be known for pure Ayurvedic treatment and there should be no integrated practice.





- e. Up to 8 students may be given to such institutions and the chief physician/doctor of the institution and/or other senior doctors will be in-charge of training of Shishya.

**(C) Empanelment:**

The selection of Guru of any course is done by a Search Committee comprising of experts nominated by the Governing Body or its President. The Committee scrutinizes bio-data of scholars and Vaidyas and selects the Guru after proper discussion on his/her competence and recommends to Governing Body for empanelment. After the approval of the Governing Body the letter of empanelment is sent to guru whenever vacancy arises after receiving his/her willingness for teacher-ship and adherence to rules of the Vidyapeeth and ascertaining that facilities for training are available with him/her. Selection of Guru is purely on temporary basis for the period of one term i.e. one year in CRAV course and two years in MRV course. The Governing Body or a Committee chaired by President, Governing Body reviews the work of Guru and accords extension whenever necessary. The appointment stands completed when there is no student under the Guru or when all the students under him/her have completed their studies/duration of study.

**4.1.3. SHISHYAS:**

The advertisement for admission to CRAV course was given in newspapers on all India basis, inviting applications from eligible candidates.

As per the rules of RAV, candidates with Ayurvedacharya (BAMS) or an equivalent degree are selected in CRAV course. The maximum age limit for admission in this course is 30 years for U.G. degree holders and 32 years for P.G. degree holders. Relaxation up to 35 years is given to permanently employed doctors duly sponsored by Government. The qualifications of candidates must have been recognized by CCIM.

After the scrutiny of the applications received, the eligible candidates are called for a written test. Various aspects of syllabus of graduate course with special emphasis on clinical subjects are covered in the written test based on objective questions. In the selection of the Shishya, the merit of the student





and the preference of subject/guru are taken into the consideration. Preference is given to Medical Officers in CRAV course.

The selected candidates are required to submit a Bond to the effect that in the event of the student leaving the course in the middle or if the student is expelled for violation of rules of the Vidyapeeth, the whole amount of stipend received from the Vidyapeeth shall be refunded with 12% interest thereon. On having completed the formalities, the Shishyas are placed under the tutelage of concerned Gurus located in different parts of the country for training.

#### **4.1.4. Honorarium and Stipend:**

There is a provision of payment of honorarium to Gurus and stipend to Shishyas during the training period every month. Each guru is given 2-4 students for training. The honorarium to Guru is Rs.15,820/-only plus DA at the rates applicable from time to time plus Rs.5,000/-upto two students. If any Guru has more than two students, he/she shall be paid an extra honorarium at Rs.2,000/- only per student. Similarly, the stipend for CRAV students is Rs.15,820/-only plus DA 6<sup>th</sup> CPC at the rates applicable from time to time. For MRAY students the stipend is Rs.15,820/-only plus DA at the applicable rates plus Rs.2,500/- only.

#### **4.1.5. Examination:**

**For the course of MRAY**, the final examination is conducted at the end of 2 years in three parts :-

- (a) evaluation of thesis prepared by the Shishya
- (b) written examination of 03 hours duration
- (c) viva - voce.

The evaluation of thesis is done on approval/rejection basis. After the thesis is approved, the Shishya is examined by written examination and viva-voce. Having obtained satisfactory report in each of the three parts of examination the Shishya is declared to have completed his/her studies successfully for the award of Member of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth i.e., MRAY.



**For the course of CRAV**, the Shishya at the end of the study shall prepare a monograph of not more than 25 pages on summary of salient features of his/her learning viz. treatment of special diseases, medicines and special cases etc. and submit it to the Vidyapeeth one-month prior to the examination. They are also asked to submit a special case report on some interesting case they have seen during their training period. The examination comprises of two parts :-

- (a) written examination of 03 hours duration
- (b) viva-voce.

The monograph, the case report and the monthly record sheets becomes the basis for written examination and viva-voce. An internal assessment of the student from his guru for the period of his training is also asked. The candidate, who secures satisfactory report in written and viva voce separately, is declared passed. Unsuccessful candidates are asked to report again to their guru for a period of three months. After this period, they are required to appear in the examination again. No stipend is paid for this additional stay with Guru.

Successful students are awarded the certificates in the Convocation.

#### **4.1.6. Achievements:**

So far, 71 students in MRAV and 1061 students in CRAV have completed their courses.

#### **4.2. CONVOCATION**

In order to fulfill the objectives of the Vidyapeeth viz. to institute due recognition to successful candidates and to recognize and encourage merit in various branches of Ayurveda, the Vidyapeeth holds Convocation every year for awarding certificates to passing out students and to felicitate eminent scholars and Vaidyas with Fellow of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (FRAV) for their significant contribution to the progress of Ayurveda.



### 4.3. AWARD OF FELLOWSHIP

For achieving one of its objectives, the Vidyapeeth awards Fellowship to the eminent scholars of Ayurveda and practitioners of various traditional Ayurvedic practices in recognition of their scholarly expertise and contribution in the field of education, research, patient care and/or literature. This is an honorary recognition and a felicitation with a citation, a shawl and a kalash/memento presented to each awardee in the Convocation of RAV. Every year the Governing Body determines these fellowships on the basis of the bio-data of scholars. So far, 326 scholars have been awarded Fellow of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (FRAV).

During the year 2019-20 following scholars have been awarded as FRAV:-

1. Vaidya Rajesh Kumar Prakashchandra Gupta, Sawantwadi (Maharashtra)
2. Vaidya Surya Prakash Sharma, Kolkata (West Bengal)
3. Prof. K.R. Kohli, Mumbai (Maharashtra)
4. Prof. (Dr.) Narayan Chandra Dash, Puri (Odisha)
5. Prof. G.S. Tomar, Allahabad (Uttar Pradesh)
6. Prof. Anupkumar Thakar, Jamnagar (Gujarat)
7. Dr. Vinay Vasudeo Welankar, Thane (Maharashtra)
8. Dr. Srinivas Hejmadi Acharya, Udupi (Karnataka)
9. Dr. Vasant Lad, United State of America
10. Dr. Jose Rugue Ribero Junior, Brazil
11. Dr. Bal Krishna Sharma Kaushik, Punjab

#### b) LIFE TIME ACHIEVEMENT AWARD

Three eminent Ayurvedic scholars were also felicitated with Life Time Achievement awards for their significant contribution to the progress of Ayurveda:-

1. Dr. P.R. Krishnakumar, Coimbatore (Tamilnadu)
2. Vaidya S.K. Dixit, Varanasi (Uttar Pradesh)
3. Dr. Doiphode Vijay Vishwanath, Pune (Maharashtra)

So far, 18 Ayurvedic scholars have been awarded Life Time Achievement (LTA).





#### **4.4. NATIONAL CONFERENCE /SEMINAR**

The Vidyapeeth conducts every year a Conference/Seminar on a topic that requires discussion and exchange of the views and dissemination of clinical experience on the diagnosis and treatment of the disease through Ayurveda. So far 25 Conferences/Seminars have been conducted on different topics such as Ksharasutra, Heart Diseases, Ayurvedic Education, Training and Development, Nadi Vigyan, Fast Acting Ayurvedic Medicines and Techniques, Shothahara Avam Jeevanu Nashak Ayurvedic Medicines, AIDS, Thyroid Disorders, Rasayana, Kidney and Urinary Disorders, Hepato-biliary & Splenic Disorders, Diabetes Mellitus, Mental Health, Vatavyadhi, Obesity, Reproductive Health of Women, Preventive Cardiology, Skin Diseases, Cancer (2), Autoimmune Disorders, Basti Karma, Parmeah (Diabeties), Role of Ayurveda in Sports Medicine and Ayurveda for Longevity.

#### **4.5 NATIONAL INTERACTIVE WORKSHOPS BETWEEN PG STUDENTS AND TEACHERS OF AYURVEDA**

It is the common experience of students, junior teachers and young doctors, who in the beginning of their professional career come across certain points of topics/subjects in texts, which may require clarification/explanation, interpretation and scientific understanding. In some of the colleges, where the faculty is deficient of experienced and qualified staff, the students constantly make efforts to understand the concepts of Ayurveda and their practical utility.

It is frequently raised and argued by the students that some of the topics that cannot be explained in terms of present scientific understanding may be deleted from the syllabus/texts, as these are not relevant in the present context.

But before entering into such conclusion it is felt necessary that interactive session should take place between students and eminent scholars and experienced Vaidyas, where there could be an opportunity to discuss such points of doubt. It is observed that the routine seminars of specific subject/topic limit the discussion to that topic and many times fail to clarify the doubts of students and participants for lack of time. In the fields of learning involving study of ancient texts and applying them in day-to-day





practice in order to promote health care of the people, there is every possibility of queries in the professionals regarding the applicability of ancient thoughts in the present day understanding.

Questions are invited from students on selected topics from the Samhitas, Nighantus, Chikitsa Granthas and other texts of Ayurveda, on which they require clarification. On receipt of the questions from the students, these are sent to those Ayurvedic scholars (resource persons) who have sound knowledge of that subject, and who can clarify their doubts. The questions and answers are compiled in the form of a book and distributed in the workshop for scientific discussion. The questioners and experts are invited to participate in the workshop.

So far, RAV has conducted 25 such Interactive Workshops and released books of Questions and Answers discussed in the workshop.

#### **4.6. NATIONAL TRAINING PROGRAMME FOR AYURVEDA TEACHERS ON SAMHITA BASED CLINICAL DIAGNOSIS**

In a survey of Ayurveda Institutes conducted by RAV and AYUSH to assess the standards of Ayurveda Education and Educational Institute in the year 2012, it was observed that the information such as Dashavidha Pariksha, Srotas Parikshan etc. was lacking in Clinical case records at many institutes. The art of clinical diagnosis based on Samhitas and classical methodology described in Ayurveda is disappearing. Many teachers as well as PG students showed their interest in learning this art of Ayurvedic Diagnostic methods.

In view of above, a novel training programme has been initiated by RAV during the year 2013-14 for providing practical demonstration of Samhita (text)-based clinical methods of examination by eminent scholars in the field.

Ayurveda is indigenous medicine of our country and it is practiced in India for several centuries. There are number of treatment procedures, therapies and medicines in public domain. Many practitioners, either gained knowledge traditionally from their forefathers or out of their own experience, are practicing Ayurveda and benefitting the local populations. The knowledge and skills possessed by them in patient care should be transmitted to present



young doctors. Further, the knowledge of Ayurveda is required to be interpreted as per the concepts of Ayurveda in diagnosis and treatment.

**4.7 CHARAKA AYATANAM:** (6 Days complete residential training programme for Undergraduate and Post Graduate Scholars of Ayurveda)

Samhita are the base of Ayurveda. They are most clinical classical text books of Ayurveda. However, it has been observed that their clinical relevance is not understood and taught the way it should have been. Therefore it is important to understand Samhita on bedside and learn to design the treatment as per classical texts.

Charak Samhita being the basic text of Kayachikitsa, the Charaka Ayatanam program has been designed to provide authentic clinical understanding of Charak Samhita and its relevance in clinical practice.

**4.8. PUBLICATIONS**

The Vidyapeeth has been publishing certain books of Ayurveda, which cater to general public in creating awareness and also useful to students and professionals of Ayurveda and allied sciences. The Vidyapeeth also publishes the theses of its students after necessary review and recommendation by the Expert Committee and approval by the Governing Body. RAV has so far published 25 souvenirs and 15 books including, four based on theses submitted by its students of two-year course. Twenty five question-answer books pertaining to interactive workshops were also published by the Vidyapeeth.

**5. TECHNICAL REPORT (Activities conducted during 2019-20)**

**5.1 MEETINGS HELD DURING THE YEAR:**

During the year, one meeting of Governing Body and two meetings of Standing Finance committee were conducted. Details are as under:

**(a) Meetings of Governing Body:**

During the year, a meeting of Governing Body (45<sup>th</sup> GB meeting) was convened on 26<sup>th</sup> September 2019 as per details given below:



#### **45<sup>th</sup> Governing Body meeting held on 26<sup>th</sup> September 2019**

The following members were present in the meeting

1. 'Padambhusan' Vd. Devinder Triguna-President
2. Vd. Manoj Nesari, Adviser (Ayurveda), Ministry of AYUSH
3. Vd. Anup Thakur, VC, Gujrat Ayurved University
4. Dr. Rajesh Gupta, Swanatwadi
5. Dr. Varsha Deshpande, Karad
6. Vd. Dinanath Upadhyay, Pune
7. Dr. Gobind Prasad Upadhyay, Nagpur
8. Vd. Sadanand Sardeshmukh, Pune
9. Shri Rajkumar, DS, IFD (Representative of Additional Secretary & FA, Ministry of Health and Family Welfare)
10. Dr. Anupam Srivastava, Director-Member Secretary
11. Smt. Vijayalakshmi Bhardwaj, Deputy Secretary, Ministry of AYUSH-invitee
12. Shri A.J.J. Kennedy, Under secretary (NI), Ministry of AYUSH-invitee

#### **Major decisions taken in 45<sup>th</sup> meeting of GB:**

A 45<sup>th</sup> Meeting of G.B. was held on 26<sup>th</sup> September 2019 wherein following important recommendations were approved.

1. Approved the Annual Accounts for the year 2018-19.
2. Approved the Budget Estimate for the year 2019-20.
3. Approved the Annual Report for the year 2017-18.
4. Approval for conducting Samhita based training programme for Undergraduate/ Postgraduate students (CHARAKAAYATAN)
5. Approval for additional space for RAV.

#### **(b). Standing Finance Committee (SFC) meeting:**

During the year, two meetings of Standing Finance Committee (SFC) were conducted with ex-officio members of the SFC on 02<sup>nd</sup> July, 2019 and 27<sup>th</sup> January 2020.





### **30<sup>th</sup> Standing Finance Committee (SFC) held on 02.07.2019**

The following members were present in the meeting:-

1. Shri P.N. Ranjit Kumar, JS, Ministry of AYUSH- Ex-officio Member
2. Shri Raj Kumar, Deputy Secretary (IFD), Addl. Secretary or his Representative, M/o Health & F.W, Nirman Bhawan
3. Vd. Manoj Nesari, Advisor (Ayu.), Ministry of AYUSH
4. Vd. Dinanath Upadhyay, Pune
5. Dr. Varsha Deshpande, Karad
6. Smt. Vijayalakshmi Bhardwaj, Deputy Secretary, Ministry of AYUSH-Special Invitee
7. Shri A.J.J. Kennedy, Under Secretary, Ministry of AYUSH-Special Invitee
8. Dr. Anupam, Director, RAV

### **Major decisions taken in 30<sup>th</sup> meeting of SFC:**

A 30<sup>th</sup> meeting of SFC was held on 02<sup>nd</sup> July, 2019 wherein following important recommendations were approved.

1. Approved the Annual Accounts for the year 2018-19.
2. Approved the budget for the year 2019-20.
3. Approved to conduct Interactive Training Programme between P.G. scholars and young teachers.
4. Approval for conducting Samhita based training programme for Undergraduate/ Postgraduate students (CHARAKAAYATAN).
5. Approval for Additional space for RAV.

### **31<sup>st</sup> Standing Finance Committee (SFC) held on 27.01.2020**

The following members were present in the meeting:-

1. Shri Pramod Kumar Pathak, Additional Secretary, Ministry of AYUSH- Ex-officio Member





2. Addl. Secretary & FA or his Representative, M/o Health & F.W, Nirman Bhawan
3. Vd. Manoj Nesari, Advisor (Ayu.) , Ministry of AYUSH
4. Dr. Varsha Deshpande, Karad
5. Shri Yash Veer Singh, Deputy Secretary, Ministry of AYUSH-Special Invitee
6. Shri A.J.J. Kennedy, Under Secretary, Ministry of AYUSH-Special Invitee
7. Shri Sachin Kumar, Research Officer, Ministry of AYUSH-Special Invitee
8. Dr. Anupam, Director, RAV

**Major decisions taken in 31<sup>st</sup> meeting of SFC:**

A 31<sup>st</sup> meeting of SFC was held on 27<sup>th</sup> January 2020 wherein following important recommendations were approved.

1. Approval for empowering RAV notified as a government agency to Accreditate Ayurveda courses in India and abroad.
2. Approval for new rent rates.

**5.2 GURU SHISHYA PARAMPARA**

**(A) Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (CRAV)**

**Selection of the CRAV Gurus:**

In order to begin the new session of Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (CRAV) course for the year 2019-20 an advertisement was brought out on 20<sup>th</sup> June, 2019 in the selected newspapers on all India bases through DAVP for appointment of Gurus for the course. About 84 fresh applications were received from prospective Vaidyas/ Scholars.

The scrutiny committee was held on 17.07.2019 in which 84 applications (06 for Institutional, 71 for Individual and 07 late received) observed. Thus, 66 applications have been shortlisted by the Scrutiny Committee Members out of 84 applications and 18 applications have been



rejected. The committee shortlisted 74 (66 New and 08 Existing) applicants were prepared for the purpose of physical verification.

A Sub-Committee of Governing Body was formed with the approval of President of G.B., RAV to review the visitation report of 74 Gurus and to finalize the gurus for the academic year 2019-20. The following members were present in the meeting:-

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Vd. Manoj Nesari, Adviser (Ayurveda) | - Chairman |
| 2. Vd. Anup Thakur, VC, Jamnagar        | - Member   |
| 3. Dr. Rajesh Gupta, Sawantwadi         | - Member   |
| 4. Dr. Varsha Deshpande, Karad          | - Member   |
| 5. Dr. Anupam, Director, RAV            | - Member   |

The visitation report and other information received from different sources were discussed at length. The above committee scrutinized the applications and shortlisted 58 names out of 74 applicants, as per eligibility criteria. Additionally, a few names as suggested by the GB members were also considered. For finalizing the names of Gurus the meeting of sub-committee was held on 26<sup>th</sup> September 2019, in which, total 58 Gurus comprising of 53 Individual Gurus and 5 Institutional Gurus have been selected. The details of the empanelled gurus for CRAV for this year are as under:

S.No.	Name and Place of Gurus	Subject
1.	Dr. L. Sucharitha, Bangalore (Karnataka)	Stree Roga
2.	Prof. Premvati Tewari, Varanasi (U.P.)	Stree Roga
3.	Dr. Vijayan Nangelil, Kothamanagalam (Kerala)	Asthi & Marma Chikitsa
4.	Dr. C. Suresh Kumar, Trivandrum (Kerala)	Asthi Chikitsa
5.	Dr. Mathews Joseph, Muvattupuzha (Kerala)	Asthi & Marma Chikitsa and Sports Injury Management



6.	Dr. A. Raghavendra Acharya, Udupi (Karnataka)	Ksharsutra and Marma Chikitsa
7.	Dr. Mukul Patel, Surat (Gujarat)	Ksharsutra
8.	Vd. Devendra Kumar Shah, Ahmedabad (Gujarat)	Ksharsutra
9.	Dr. Raman Singh, Varanasi (U.P.)	Ksharsutra
10.	Dr. Hem Raj Sharma, Una (H.P.)	Ksharsutra
11.	Dr. K.V.S. Rao, Bhilai (C.G.)	Ksharsutra
12.	Dr. Lalta Prasad, Bareilly (U.P.)	Ksharsutra
13.	Dr. Manoranjan Sahu, Varanasi (U.P.)	Ksharsutra
14.	Dr. Harshvardhan Jobanputra, Nadiad (Gujarat)	Ksharsutra
15.	Dr. D. Ramanathan, Thrissur (Kerala)	Pharmacy
16.	Dr. Vijay Vishwanath Doiphode, Pune (M.S.)	Pharmacy
17.	Vd. Vivek Dattatraya Sane, Pune (M.S.)	Pharmacy
18.	Dr. Surya Prakash Sharma, Kolkata (West Bengal)	Pharmacy
19.	Vd. Sasikumar Nechiyal, Palakkad (Kerala)	Pharmacy
20.	Dr. I. Bhavadasan Namboothiri, Kannur (Kerala)	Netra Chikitsa



21.	Sreedhareeyam Ayurvedic Eye Hospital & Research Centre, Ernakulam (Kerala) (Dr. N. Narayanan Namboothiri)	Netra Chikitsa (Institutional Guru)
22.	Dr. Jaysukh R. Makwana, Rajkot (Gujarat)	Danta Chikitsa
23.	Vd. Nimkar Anant Sadanand, Satara (M.S.)	Kayachikitsa
24.	Vd. Suvinay Vinayak Damale, Sindhudurg (M.S.)	Kayachikitsa
25.	Dr. Mani Bhushan Kumar, Patna (Bihar)	Kayachikitsa
26.	Vd. Binod Joshi, Haldwani (Uttarakhand)	Kayachikitsa
27.	Vd. Namadhar Sharma, New Delhi	Kayachikitsa
28.	Dr. Ramesh R. Varier, Madurai (Tamilnadu)	Kayachikitsa
29.	Vd. Satya Prakash Gupta, Moradabad (U.P.)	Kayachikitsa
30.	Dr. V. Sreekumar, Thrissur (Kerala)	Kayachikitsa
31.	Dr. Ravishankar Pervaje, Dakshinakannada (Karnataka)	Kayachikitsa
32.	Vd. Dineshchandra D. Goradia, Mumbai (M.S.)	Kayachikitsa
33.	Dr. Ramdas M. Avhad, Ahmednagar (M.S.)	Kayachikitsa
34.	Dr. K. Chidambaram, Kanyakumari (Tamilnadu)	Kayachikitsa
35.	Vd. Ashwani Kumar Sharma, New Delhi	Kayachikitsa





36.	Vd. Tarachand Sharma, New Delhi	Kayachikitsa
37.	Vd. Narendra Gujarathi Narayandas, Jalgaon (M.S.)	Kayachikitsa
38.	Dr. Ganjam Krishna Prasad, Secunderabad (Telangana)	Kayachikitsa
39.	Dr. Dhanraj Vishweshwar Gahukar, Nagpur (M.S.)	Kayachikitsa
40.	Dr. Madhusudan Deshpande, Bhopal (M.P.)	Kayachikitsa
41.	Vd. Jagjit Singh, Chandigarh (Punjab)	Kayachikitsa
42.	Dr. C.M. Sreekrishnan, Thrissur (Kerala)	Kayachikitsa
43.	Dr. Jagadeeshwari Prasad Mishra "Basant" Sitamarhi (Bihar)	Kayachikitsa
44.	Dr. Santosh Bhagwanrao Nevpurkar, Aurangabad (M.S.)	Kayachikitsa
45.	Vaidya Jayant Deopujari, Nagpur (M.S.)	Kayachikitsa
46.	Dr. Vinay Vasudeo Welankar, Thane (M.S.)	Kayachikitsa
47.	Dr. Damaniya Panchabhai, Junagadh (Gujarat)	Kayachikitsa
48.	Vd. Anil Bhardwaj, Chandigarh (Punjab)	Kayachikitsa
49.	Vd. Achyut Kumar Tripathi, Noida (U.P.)	Kayachikitsa
50.	Bharatiya Sanskriti Darshan Trust, Pune (M.S.) (Vd. S.P. Sardeshmukh)	Kayachikitsa (Institutional Guru)



51.	Aryavaidya Chikitsalayam and Research Institute, Coimbatore (Tamilnadu) (Dr. P.R. Krishnakumar)	Kayachikitsa (Institutional Guru)
52.	Arya Vaidya Sala, Kottakkal (Kerala) (Dr. P. MadhavankuttyVarier)	Kayachikitsa (Institutional Guru)
53.	Smt. Maniben Amrutlal Hargovan Government Ayurveda Hospital, Ahmedabad (Gujarat) (Dr. C.N. Jani)	Kayachikitsa (Institutional Guru)
54.	Dr. Manoj Kumar Sharma, Kota (Rajasthan)	Kayachikitsa
55.	Vd. Shrikrishna Khandel, Jaipur (Rajasthan)	Kayachikitsa
56.	Vd. Narayan Chandra Dash, Puri (Odisha)	Kayachikitsa
57.	Dr. Pangala Muralidhara Ramachandra Bhat, Bengaluru (Karnataka)	Kayachikitsa
58.	Dr. Pravin Prabhakar Joshi, Dhule (M.S.)	Kayachikitsa

### **(B) Admission and Training of the CRAV Students:**

In order to admit the students (Shishyas) during the year an advertisement was brought out in all the leading newspapers all over the country on 28<sup>th</sup> August, 2019. Besides this, the copies of advertisement were sent to all the Graduate and Post Graduate Ayurveda Colleges/Universities to display it on their Notice-Board. The copies of advertisement were also sent to all Gurus and members of the Governing Body along with prospectus and other rules.

In response of the Advertisement about 735 applications were received and scrutinized. Admit Cards were issued to all 729 eligible candidates for appearing in written test which was conducted at pre-approved examination centers at Delhi, Pune and Thrissur on 22<sup>nd</sup> September, 2019. Total 684



applicants appeared for the tests at four centers. Question paper for written test containing 100 objective-type questions was prepared in Hindi and English. Total 160 candidates were selected on the basis of their merit.

The following 138 students have received the training under 58 Gurus. The details are as under:-

S.No.	Name and Place of Gurus	Subject	No. of Students
1.	Dr. L. Sucharitha, Bangalore (Karnataka)	Stree Roga	2
2.	Prof. Premvati Tewari, Varanasi (U.P.)	Stree Roga	2
3.	Dr. Vijayan Nangelil, Kothamanagalam (Kerala)	Asthi & Marma Chikitsa	4
4.	Dr. C. Suresh Kumar, Trivandrum (Kerala)	Asthi Chikitsa	4
5.	Dr. Mathews Joseph, Muvattupuzha (Kerala)	Asthi & Marma Chikitsa and Sports Injury Management	1
6.	Dr. A. Raghavendra Acharya, Udupi (Karnataka)	Ksharsutra and Marma Chikitsa	2
7.	Dr. Mukul Patel, Surat (Gujarat)	Ksharsutra	2
8.	Vd. Devendra Kumar Shah, Ahmedabad (Gujarat)	Ksharsutra	1
9.	Dr. Raman Singh, Varanasi (U.P.)	Ksharsutra	2
10.	Dr. Hem Raj Sharma, Una (H.P.)	Ksharsutra	2



11.	Dr. K.V.S. Rao, Bhilai (C.G.)	Ksharsutra	2
12.	Dr. Lalita Prasad, Bareilly (U.P.)	Ksharsutra	1
13.	Dr. Manoranjan Sahu, Varanasi (U.P.)	Ksharsutra	1
14.	Dr. Harshvardhan Jobanputra, Nadiad (Gujarat)	Ksharsutra	1
15.	Dr. D. Ramanathan, Thrissur (Kerala)	Pharmacy	1
16.	Dr. Vijay Vishwanath Doiphode, Pune (M.S.)	Pharmacy	2
17.	Vd. Vivek Dattatraya Sane, Pune (M.S.)	Pharmacy	2
18.	Dr. Surya Prakash Sharma, Kolkata (West Bengal)	Pharmacy	2
19.	Vd. Sasikumar Nechiyal, Palakkad (Kerala)	Pharmacy	2
20.	Dr. I. Bhavadasan Namboothiri, Kannur (Kerala)	Netra Chikitsa	2
21.	Sreedhareeyam Ayurvedic Eye Hospital & Research Centre, Ernakulam (Kerala) (Dr. N. Narayanan Namboothiri)	Netra Chikitsa (Institutional Guru)	6
22.	Dr. Jaysukh R. Makwana, Rajkot (Gujarat)	Danta Chikitsa	0
23.	Vd. Nimkar Anant Sadanand, Satara (M.S.)	Kayachikitsa	1
24.	Vd. Suvinay Vinayak Damale, Sindhudurg (M.S.)	Kayachikitsa	2





25.	Dr. Mani Bhushan Kumar, Patna (Bihar)	Kayachikitsa	2
26.	Vd. Binod Joshi, Haldwani (Uttarakhand)	Kayachikitsa	2
27.	Vd. Namadhar Sharma, New Delhi	Kayachikitsa	2
28.	Dr. Ramesh R. Varier, Madurai (Tamilnadu)	Kayachikitsa	4
29.	Vd. Satya Prakash Gupta, Moradabad (U.P.)	Kayachikitsa	2
30.	Dr. V. Sreekumar, Thrissur (Kerala)	Kayachikitsa	2
31.	Dr. Ravishankar Pervaje, Dakshinakannada (Karnataka)	Kayachikitsa	4
32.	Vd. Dineshchandra D. Goradia, Mumbai (M.S.)	Kayachikitsa	1
33.	Dr. Ramdas M. Avhad, Ahmednagar (M.S.)	Kayachikitsa	3
34.	Dr. K. Chidambaram, Kanyakumari (Tamilnadu)	Kayachikitsa	4
35.	Vd. Ashwani Kumar Sharma, New Delhi	Kayachikitsa	2
36.	Vd. Tarachand Sharma, New Delhi	Kayachikitsa	2
37.	Vd. Narendra Gujarathi Narayandas, Jalgaon (M.S.)	Kayachikitsa	2
38.	Dr. Ganjam Krishna Prasad, Secunderabad (Telangana)	Kayachikitsa	2
39.	Dr. Dhanraj Vishweshwar Gahukar, Nagpur (M.S.)	Kayachikitsa	1



40.	Dr. Madhusudan Deshpande, Bhopal (M.P.)	Kayachikitsa	2
41.	Vd. Jagjit Singh, Chandigarh (Punjab)	Kayachikitsa	2
42.	Dr. C.M. Sreekrishnan, Thrissur (Kerala)	Kayachikitsa	1
43.	Dr. Jagadeeshwari Prasad Mishra "Basant", Sitamarhi (Bihar)	Kayachikitsa	2
44.	Dr. Santosh Bhagwanrao Neypurkar, Aurangabad (M.S.)	Kayachikitsa	1
45.	Vaidya Jayant Deopujari, Nagpur (M.S.)	Kayachikitsa	2
46.	Dr. Vinay Vasudeo Welankar, Thane (M.S.)	Kayachikitsa	1
47.	Dr. Damaniya Panchabhai, Junagadh (Gujarat)	Kayachikitsa	1
48.	Vd. Anil Bhardwaj, Chandigarh (Punjab)	Kayachikitsa	2
49.	Vd. Achyut Kumar Tripathi, Noida (U.P.)	Kayachikitsa	2
50.	Bharatiya Sanskriti Darshan Trust, Pune (M.S.) (Vd. S.P. Sardeshmukh)	Kayachikitsa (Institutional Guru)	8
51.	Aryavaidya Chikitsalayam and Research Institute, Coimbatore (Tamilnadu) (Dr. P.R. Krishnakumar)	Kayachikitsa (Institutional Guru)	8
52.	Arya Vaidya Sala, Kottakkal (Kerala) (Dr. P. MadhavankuttyVarier)	Kayachikitsa (Institutional Guru)	8



53.	Smt. Maniben Amrutlal Hargovan Government Ayurveda Hospital, Ahmedabad (Gujarat) (Dr. C.N. Jani)	Kayachikitsa (Institutional Guru)	7
54.	Dr. Manoj Kumar Sharma, Kota (Rajasthan)	Kayachikitsa	2
55.	Vd. Shrikrishna Khandel, Jaipur (Rajasthan)	Kayachikitsa	2
56.	Vd. Narayan Chandra Dash, Puri (Odisha)	Kayachikitsa	1
57.	Dr. Pangala Muralidhara Ramachandra Bhat, Bengaluru (Karnataka)	Kayachikitsa	2
58.	Dr. Pravin Prabhakar Joshi, Dhule (M.S.)	Kayachikitsa	2
<b>Total</b>			<b>138</b>

### 5.3. NATIONAL TRAINING PROGRAMME FOR AYURVEDA TEACHERS ON SAMHITA BASED CLINICAL DIAGNOSIS:

A novel training programme has been initiated by RAV during the year 2013-14 for providing practical demonstration of Samhita (text)-based clinical methods of examination by eminent scholars in the field, because, it was observed that the information such as Dashavidha Pariksha, Srotas Pariksha etc. was lacking in Clinical case records at many institutes. The art of clinical diagnosis based on Samhitas and classical methodology described in Ayurveda is disappearing. Many teachers showed their interest in learning this art of Ayurvedic Diagnostic methods.

Hence, in order to promote the practice of art of clinical diagnosis based on texts of Ayurveda and classical methodology described in Ayurveda, RAV had conducted following two training programme on Teachers of Stree Roga and Bal Roga:-



S.No.	Places	Duration
1	Pune	31 <sup>st</sup> Jan. - 1 <sup>st</sup> Feb., 2020
2	Ahmedabad	7 <sup>th</sup> - 8 <sup>th</sup> Feb., 2020

Eminent scholars have delivered lectures and conducted practical sessions. So far, 500 teachers had been benefitted through these training programmes.

#### **5.4. PUBLICATIONS/ SALE OF BOOKS**

During the year the Vidyapeeth sold its publications worth **Rs. 7,54,015/- (Rupees Seven Lakh Fifty Four Thousand Fifteen Only).**

#### **5.5. OTHER ACTIVITIES**

##### **(A) Participation in Arogya Exhibitions and Ayurveda Parva**

The Vidyapeeth has participated in Three Arogya exhibitions organized by Ministry of AYUSH, Government of India and participated in 4<sup>th</sup> National Ayurveda Day. Details are as under:-

1<sup>st</sup> Arogya held at Mumbai from 22<sup>nd</sup> to 25<sup>th</sup> August, 2019

2<sup>nd</sup> Arogya held at BHU, Varanasi from 19<sup>th</sup> to 22<sup>nd</sup> December, 2019

3<sup>rd</sup> Arogya held at Dehradun from 12<sup>th</sup> to 16<sup>th</sup> February, 2020

4<sup>th</sup> National Ayurveda Day at Jaipur 24-25 October, 2019

##### **(B) Monitoring and implementation of Central Sector scheme of Continuing Medical Education (CME) :**

The Vidyapeeth as Nodal Office has been implementing the Central Sector Scheme of CME of Ministry of AYUSH. These programmes were conducted throughout the country in selected institutions with objectives of upgrading the knowledge of teachers, medical officers and other personnel of AYUSH systems and providing them the information on advancements and research outcome in the fields of diagnosis, management, drugs etc. in





concerned subjects. Orientation Training Programmes in Yoga and other AYUSH subjects were also arranged for AYUSH and Allopathic doctors besides Training of Trainers and other capacity building programs.

During 2019-20, total GIA of Rs. 330.00 lakhs have been released for conducting 54 CME programmes consisting of 34 CME for Teachers, 16 CME for Doctors, 01 CME for Paramedics, 01 CME for Management 01 CME in R&D, 01 CME for Revision of modules and as reimbursement to eligible institutions.

Also during 2019-20, 24 pending Utilization Certificates (UC) amounting to Rs. 211.00 lakhs have been liquidated.



**STATE-WISE STATEMENT OF RELEASES OF CME PROGRAMMES OF AYUSH FOR TEACHERS & DOCTORS  
DURING YEAR- 2019-20**

S.No	STATE	NUMBER OF INSTITUTIONS	AYURVEDA		HOMOEOPATHY		UNANI		SIDDHA		YOGA & NATUROPATHY		AMCHH (Sowa Rigpa)	MISCELLANEOUS	Amount released (Rs in lakhs)
			CME for teachers	CME for doctors	CME for teachers	CME for doctors	CME for teachers	CME for doctors	CME for teachers	CME for doctors	CME for teachers	OTP/D for doctors			
1.	CHHATTISGARH	1+0	3 (6 day)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
2.	DELHI	4+0	5 (6 day)	1 (6 day)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 CME - Revision of Module 1 CME for Paramedics	46.5
3.	GUJARAT	0+1	-	-	1 (6 day)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
4.	KERALA	1+4	3 (6 day)	-	-	-	-	-	1(6 day)	-	-	-	-	1 CME in Management	40.12
5.	KARNATAKA	0+2	3 (6 day)	2 (6 day)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
6.	MAHARASHTRA	1+9	7 (6 day)	2 (6 day)	-	-	-	-	-	-	1 (6 day)	1 (6 day)	-	-	66.00
7.	TAMILNADU	1+2	-	-	1 (6 day)	-	-	-	-	1 (6 day)	-	-	-	6 Day CME in R&D	19.5



8.	UTTAR PRADESH	3+1	-	2 (6 day)	-	-	-	-	-	3 (2 day)	-	-	-	-	27.00
9.	RAJASTHAN	1+1	1 (6 day)	1 (2 day)	1(6 day)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.88
10.	BIHAR	1+0	1 (6 day)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
11.	WEST BENGAL	1+1	-	1 (6 day)	3(6 day)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
12.	PUNJAB	0+1	1 (6 day)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
13.	ODISHA	1+0	-	1 (6 day)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
14.	ASSAM	1+0	-	1 (6 day)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
Total		16+22 =38	24	11	6	-	2	3	1	1	1	1	1	4	
Reimbursement to institutes															17.59
Other charges															20.00
Total															349.59
TOTAL PROGRAMMES = 54 BENEFICIARIES = Awaited, BE- Rs.350.00 lakhs, AE-Rs.349.59 lakhs															



## 6. Budget and Expenditure

During the year 2019-20, the Vidyapeeth received Grant-in-Aid of Rs. 665.66 lakh (GIA General: Rs. 571.54 lakh, GIA Salary: Rs. 86.12 lakh, GIA CME: Rs. 6.0 lakh and GIA-Swachh Bharat Abhiyan: Rs. 2 lakh) from the Ministry of AYUSH. Besides, there was an unspent grant of Rs. 239.96 lakh (GIA General: Rs. 226.46 lakh, GIA Salary: Rs.12.38 lakh and GIA-Swachh Bharat Abhiyan: Rs.1.12 lakh) for the year 2018-19. It had its own receipts transferred under GIA General Rs.1.35 lakh during the year. The Vidyapeeth utilized Rs. 874.44 lakh (GIA General: Rs. 799.35 lakh, GIA Salary: Rs. 74.59 lakh and GIA-Swachh Bharat Abhiyan: Rs 0.50 lakh) leaving an unspent balance of Rs. 32.53 lakh (GIA Salary: Rs. 23.91 lakh, GIA CME: Rs. 6.0 lakh and GIA- Swachh Bharat Abhiyan: Rs. 2.62 lakh) as on 31 March, 2020.





## **Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth for the year ended 31 March, 2020**

We have audited the attached Balance Sheet of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (Vidyapeeth) as at 31 March 2020, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 20 (1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted for the period up to 2020-21. These financial statements are the responsibility of the Vidyapeeth's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observation on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;



- ii. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the uniform format of accounts approved by the Government of India, Ministry of Finance.
- iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Vidyapeeth in so far as it appears from our examination of such books.
- iv. We further report that:

#### **A. General**

**A.1** As per instructions issued by Ministry of Finance vide notification No. FNo.11/14/2013-PR dated 02.03.2015, investment of Provident Fund should be made in various Govt. securities (45 to 50%), debt instrument (35 to 45%), short term debt instrument (upto 5%), equities (5 to 15%) and assets backed trust structure (upto 5%). However, the Vidyapeeth had invested Rs.106.56 lakh in Term Deposits in Nationalized Banks, which was not in accordance with the pattern prescribed by the Government of India.

#### **B. Grants-in-aid**

During the year 2019-20, the Vidyapeeth received Grant-in-Aid of Rs. 665.66 lakh (GIA General: Rs. 571.54 lakh, GIA Salary: Rs. 86.12 lakh, GIA CME: Rs. 6.0 lakh and GIA-Swachh Bharat Abhiyan Rs. 2 lakh) from the Ministry of AYUSH. Besides, there was an unspent grant of Rs. 239.96 lakh (GIA General: Rs. 226.46 lakh, GIA Salary: Rs.12.38 lakh and GIA-Swachh Bharat Abhiyan Rs.1.12 lakh) for the year 2018-19. It had its own receipts transferred under GIA General Rs.1.35 lakh during the year. The Vidyapeeth utilized Rs. 874.44 lakh (GIA General: Rs. 799.35 lakh, GIA Salary: Rs. 74.59 lakh and GIA-Swachh Bharat Abhiyan Rs 0.50 lakh) leaving an unspent balance of Rs. 32.53 lakh (GIA Salary: Rs. 23.91 lakh, GIA CME: Rs. 6.0 lakh and GIA- Swachh Bharat Abhiyan: Rs. 2.62 lakh) as on 31 March, 2020.

#### **D. Management Letter**

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of management of Vidyapeeth through a management letter issued separately for remedial/corrective action.



- v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting policies and Notes on Accounts, and subject to significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:
  - a. In so far it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth as at 31 March 2020; and
  - b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

**For and on behalf of C&AG of India**

**Ashok Sinha**  
**Principal Director of Audit**  
**(Health Welfare & Rural**  
**Development)**

**Place: New Delhi**  
**Date: 06.01.2021**





## Annexure

**1. Adequacy of internal audit system:**

The Ministry has conducted the internal audit of the Vidyapeeth up to 2015-16.

**2. Adequacy of internal control system:**

The management's response to internal and external audit objections was not effective as 15 paras of internal audit up to 2016 were outstanding as on 31 March, 2020.

**3. System of physical verification of fixed assets:**

The physical verification of fixed assets for the period 2019-20 was conducted.

**4. System of physical verification of inventory:**

The physical verification of book & Publications, stationery and consumable items was conducted upto 2019-20.

**5. Regularity in payment of statutory dues:**

No statutory dues were outstanding for more than six month as on 31.03.2020.





## **BALANCE SHEET AS AT 31<sup>st</sup> MARCH 2020**

AMOUNT (RS.)

<b>Particulars</b>	<b>Schedule</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
<b><u>CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES</u></b>			
Corpus/Capital Fund	1	44,70,864.00	44,56,864.00
Reserves And Surplus	2	47,73,468.00	37,68,022.00
Earmarked/Endowment Fund	3	-	-
Secured Loans And Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans And Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities And Provisions	7	1,61,38,650.00	3,57,22,590.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,53,82,982.00</b>	<b>4,39,47,476.00</b>
<b><u>ASSETS</u></b>			
Fixed Assets	8	7,01,390.00	8,77,031.00
Investments - From Earmarked/Endowment Funds	9	-	-
Investments- Others	10	1,06,55,904.00	82,25,129.00
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	1,40,25,688.00	3,48,45,316.00
Misc. Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2,53,82,982.00</b>	<b>4,39,47,476.00</b>

**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** 24

**CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS** 25

For Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth

Place : New Delhi

**DIRECTOR**

Date : 23-06-2020



## **INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>st</sup> MARCH, 2020**

AMOUNT (RS.)

Particulars	Schedule	Current Year	Previous Year
<b><u>INCOME</u></b>			
Income From Sales/Services	12	-	-
Grants/Subsidies	13	8,74,29,735.00	7,66,90,995.00
Fees/Subscription	14	3,17,882.00	19,91,639.00
Income From Investments (Income on Invest. from Earmarked/Endow. Funds Transferred to Funds)	15	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	7,58,353.00	5,51,632.00
Interest Earned	17	4,439.00	5,06,885.00
Other Income	18	772.00	3,315.00
Increase/(Decrease) in Stock of Finished Goods and Work-In-Progress	19	58,485.00	-1,72,400.00
<b>TOTAL (A)</b>		<b>8,85,69,666.00</b>	<b>7,95,72,066.00</b>
Less : Internal Generation Transferred to GIA General		1,34,485.00	5,02,718.00
<b>TOTAL (A) after transfer of Interest Income</b>		<b>8,84,35,181.00</b>	<b>7,90,69,348.00</b>
<b><u>EXPENDITURE</u></b>			
Establishment Expenses	20	7,33,38,026.00	6,65,18,196.00
Other Administrative Expenses	21	1,39,87,549.00	1,00,40,384.00
Expenditure on Grants, Subsidies	22	-	-
Interest	23	-	-
Depreciation (Net Total at the year-end -Corresponding to Schedule 8)		1,04,160.00	1,32,415.00
<b>TOTAL (B)</b>		<b>8,74,29,735.00</b>	<b>7,66,90,995.00</b>
Balance Being Excess of Income over Expenditure (A-B)		10,05,446.00	23,78,353.00
Transfer to Special Reserve (Specify Each)			
Transfer to/from General Reserve			
<b>BALANCE BEING SURPLUS /(DEPICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND</b>		<b>10,05,446.00</b>	<b>23,78,353.00</b>

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

24

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

25

**For Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth  
DIRECTOR**

Place : New Delhi

Date : 23-06-2020



## Schedules To The Balance Sheet

AMOUNT (RS.)

<b>SCHEDULE 1 -CORPUS/CAPITAL FUND:</b>	<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
Balance as at the Beginning of the Year	44,56,864.00		44,13,962.00	-
Add: Contribution towards Corpus/Capital Fund	14,000.00	44,70,864.00	42,902.00	44,56,864.00
Add/ (Deduct) : Balance of Net Income/(Expenditure) Transferred from the Income and Expenditure Account				
<b>Balance at the end of the year</b>		<b>44,70,864.00</b>		<b>44,56,864.00</b>

<b>SCHEDULE 2 -RESERVES AND SURPLUS:</b>	<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
General Reserves (Excess of Income over expenditure)			-	-
As per Last Account	37,68,022.00		13,89,669.00	
Add : Addition during the year	10,05,446.00	47,73,468.00	23,78,353.00	37,68,022.00
<b>TOTAL,</b>		<b>47,73,468.00</b>		<b>37,68,022.00</b>

	<b>FUND-WISE BREAK UP</b>		<b>TOTALS</b>	
			<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
<b>SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</b>	-		-	
a) Opening Balance of the Funds	-		-	
b) Additions to the funds:	-		-	
i) Donations/Grants				
ii) Income from Investments made on account of funds			-	
iii) Other Additions				
<b>TOTAL (a+b)</b>		-		-
i) Capital Expenditure	-		-	
-Fixed Assets				
-Others				
<b>Total</b>				
ii) Revenue Expenditure	-		-	
- Salaries, Wages and Allowances etc.				
- Rent				
- Other Administrative Expenses				
<b>Total</b>				
<b>TOTAL (c )</b>		-		-
<b>NET BALANCE AS AT THE YEAR - END (a+b-c)</b>				

### Notes

- 1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.
- 2) Plan Funds received from the Central/State governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other funds.



<b>SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS</b>	<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
1. Central Government	-		-	-
2. State Government (Specify)	-		-	-
3. Financial Institutions	-		-	-
a) Term Loans				
b) Interest Accrued and Due				
4. Banks:	-		-	-
a) Term Loans				
- Interest Accrued and Due				
b) Other Loans (Specify)				
-Interest Accrued and Due				
5. Other Institutions and Agencies	-		-	-
6. Debentures and Bonds	-		-	-
7. Others (Specify)	-		-	-
<b>TOTAL</b>		-		-

<b>SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS</b>	<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
1. Central Government	-		-	-
2. State Government (Specify)	-		-	-
3. Financial Institutions	-		-	-
4. Banks:	-		-	-
a) Term Loans				
b) Other Loans (Specify)				
5. Other Institutions and Agencies	-		-	-
6. Debentures and Bonds	-		-	-
7. Fixed Deposits	-		-	-
8. Others (Specify)	-		-	-
<b>TOTAL</b>		-		-

<b>SCHEDULE 6- DEFERRED CREDIT LIABILITIES</b>	<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
a) Acceptances Secured by Hypothecation of Capital Equipment and Other Assets	-		-	-
b) Others	-		-	-
<b>TOTAL</b>		-		-





<b>SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>		<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
<b>A. CURRENT LIABILITIES</b>					
1. Statutory Liabilities					
a) Contribution to Provident Fund					
As per last year Balance Sheet	57,76,044.00		48,23,781.00		
Addition during the year	15,39,535.00		10,51,263.00		
Less : Withdrawal during the year	3,32,594.00	69,82,985.00	99,000.00	57,76,044.00	
2. Other Current Liabilities					
- Unutilized Grant (GIA General)	0.00		2,26,46,015.00		
- Unutilized Grant (GIA Salary)	23,90,684.46		12,37,698.70		
- Unutilized Grant (GIA Swachh Bharat Abhiyan)	2,61,882.00		1,12,102.00		
- Unutilized Grant (GIA CME)	6,00,000.00		-		
- Corpus Funds (Retirement)	44,54,650.00		38,96,036.00		
- Earnest Money	19,000.00		19,000.00		
- Other Charges Head	1,13,232.84		1,15,447.60		
- Interest earned on GIA to be refunded to Ministry of AYUSH	5,46,048.00	83,85,497.00	13,61,633.00	2,93,87,932.00	
<b>TOTAL (A)</b>		<b>1,53,68,482.00</b>		<b>3,51,63,976.00</b>	
<b>B. PROVISIONS</b>					
1. For Taxation	-		-		
2. Gratuity	3,77,056.00		3,46,909.00		
3. Superannuation/Pension	-		-		
4. Accumulated Leave Encashment	3,93,112.00		2,11,705.00		
5. Trade Warranties/Claims	-		-		
6. Others (Specify)	-	7,70,168.00	-	5,58,614.00	
<b>TOTAL (B)</b>		<b>7,70,168.00</b>		<b>5,58,614.00</b>	
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>1,61,38,650.00</b>		<b>3,57,22,590.00</b>	



SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS F.Y. 2019-20

DESCRIPTION	RATE OF DEPRECIATION	GROSS BLOCK					DEPRECIATION		NET BLOCK			
		Cost/ Valuation As At Beginning of The Year	Addition (upto 30.09.2019)	Addition ( after 30.09.2019)	Deductions During The Year	Cost/ Valuation At The Year-End	As At The Beginning of The Year	DEP. During The Year	Deductions During The year	Total Up To The Year-End	As At The Current Year-End	As At The Previous Year-End
A. FIXED ASSETS :												
1. PLANT MACHINERY & EQUIPMENT	15%	1,02,103.08	-	-	92,204.00	9,899.08	62,504.00	1,088.11	59,865.67	3,727.45	6,171.64	39,599.09
2. FURNITURES, FIXTURES	10%	9,01,383.25	14,000.00	-	14,394.43	9,00,988.82	4,73,550.88	43,625.59	8,817.74	5,08,359.53	3,92,830.28	4,27,832.57
3. OFFICE EQUIPMENT	15%	9,21,006.46	-	-	88,363.49	8,32,644.97	6,81,670.73	31,319.65	67,823.44	6,55,166.95	1,77,478.02	2,29,337.73
4. COMPUTER PERIPHERALS	40%	3,53,769.00	-	-	-	3,53,769.00	3,50,198.52	1,428.61	-	3,51,627.13	2,142.92	3,571.53
5. LIBRARY BOOKS	40%	3,95,609.09	-	-	-	3,95,609.09	3,78,618.04	6,796.42	-	3,85,414.46	10,194.63	16,991.05
6. AIR COOLING APPLIANCES	15%	3,29,391.56	-	-	1,16,585.46	2,12,706.40	1,79,064.12	18,495.18	89,558.90	1,07,900.43	1,04,806.00	1,50,327.44
7. ELECTRONIC EQUIPMENT	15%	16,499.00	-	-	-	16,499.00	7,126.49	1,405.88	-	6,532.37	7,966.63	9,372.51
TOTAL OF CURRENT YEAR		30,19,763.44	14,000.00	0.00	3,11,647.08	27,22,116.36	21,42,732.53	1,94,160.00	2,25,165.74	20,20,727.28	7,01,390.90	8,77,031.00
PREVIOUS YEAR		29,78,861.44	0.00	42,502.00	0.00	30,19,763.44	20,10,517.16	1,32,415.00	-	21,42,752.58	8,77,031.00	9,86,545.00
B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS												
TOTAL		30,19,763.44	14,000.00	-	3,11,647.08	27,22,116.36	21,42,732.53	1,94,160.00	-	20,20,727.28	7,01,390.90	8,77,031.00

Detail of Addition of Fixed asset

	Date of Purchase	Put to use	Amount (Rs.)
Furniture & Fixtures	30.04.2019	30.04.2019	14,000.00



<b>SCHEDULE 9- INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</b>	<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
1. In Government Securities	-		-	
2. Other Approved Securities	-		-	
3. Shares	-		-	
4. Debentures and Bonds	-		-	
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-		-	
6. Others (To be specified)	-		-	
<b>TOTAL</b>		-		-

<b>SCHEDULE 10- INVESTMENTS - OTHERS</b>	<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
1. Fixed Deposit				
- Contributory Provident Fund	62,02,186.00		44,69,411.00	
- Corpus Fund (Retirement)	44,53,718.00	1,06,55,904.00	37,55,718.00	82,25,129.00
<b>TOTAL</b>		1,06,55,904.00		82,25,129.00

<b>SCHEDULE 11- CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.</b>	<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
<b>A. CURRENT ASSETS:</b>				
1. Inventories:				
- Ayurvedic Books Published	2,03,594.00	2,03,594.00	1,45,109.00	1,45,109.00
2. Cash Balances in Hand (Including Cheques/Drafts and Imprest)	-		-	
3. Bank Balances:				
- GIA General	75,73,432.76		99,86,555.59	
- GIA Salary	23,90,685.12		13,24,004.80	
- Contributory Provident Fund	7,80,799.00		13,06,633.00	
- Corpus Fund	7,71,100.00		6,98,932.00	
- GIA General (Swachh Bharat Abhiyan)	2,61,881.99		1,12,102.15	
- Other Charges- ROTP	1,13,232.84		1,15,447.60	
- GIA CME	6,00,000.00	1,24,91,132.00	-	13,543,675.00
<b>TOTAL (A)</b>		1,26,94,726.00		13,688,784.00

<b>B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS</b>				
1. Advances & other amounts recoverable in Cash/Kind				
- Amt. recoverable from Sh. M.R. Giri	44,390.00		44,390.00	
- Motorcycle Advance	55,003.00		52,474.00	
- Contingent Advance	11,89,129.00		2,00,38,001.00	
- Advance to NICSI	-		10,21,217.00	
- Advance to Macao	41,990.00	13,30,512.00	-	2,11,56,082.00
- Festival Advance				



- As per last year Balance Sheet	450.00	450.00	450.00
- Less : Recovered during the year	-	450.00	-
<b>TOTAL, (B)</b>		<b>13,30,962.00</b>	<b>2,11,56,532.00</b>
<b>TOTAL, (A+B)</b>		<b>1,40,25,688.00</b>	<b>3,48,45,316.00</b>

### Schedules To Profit & Loss Account

AMOUNT (RS.)

<b>SCHEDULE 12- INCOME FROM SALES</b>	<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
Sales	-		-	
<b>TOTAL</b>		-		-

<b>SCHEDULE 13- GRANTS/SUBSIDIES</b>	<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)				-
1. Central Government-				
<b>GIA GENERAL</b>				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	2,26,46,015.00		-	
Add : Current year Internal Generations	1,34,485.00		-	
Add : Grant-In-Aid Received from Govt.	5,71,54,000.00		9,48,00,000.00	
Total Grant-In-Aid	7,99,34,500.00		9,48,00,000.00	
Less : Grant Capitalised	14,000.00		42,902.00	
	7,99,20,500.00		9,47,57,098.00	
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	0.00	79,920,500.00	2,26,46,015.00	7,21,11,083.00
<b>GIA SALARY</b>				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	12,37,699.46		52,26,994.70	
Add : Current year Interest on Corpus	-		5,02,718.00	
Grant-In-Aid Received from Govt.	86,12,000.00		-	
Total Grant-In-Aid	98,49,699.46		57,29,712.70	
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	23,90,684.46	74,59,015.00	12,37,698.70	44,92,014.00
<b>GIA CME</b>				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	-		-	
Grant-In-Aid Received from Govt.	6,00,000.00		-	
Total Grant-In-Aid	6,00,000.00		-	
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	6,00,000.00	-	-	-
<b>GIA GENERAL - SWACHH BHARAT ABHIYAN</b>				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	1,12,102.00		2,00,000.00	
Grant-In-Aid Received from Govt.	2,00,000.00		-	
Total Grant-In-Aid	3,12,102.00		2,00,000.00	
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	2,61,882.00	50,220.00	1,12,102.00	87,898.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,74,29,735.00</b>		<b>7,66,90,995.00</b>





<b>SCHEDULE 14- FEES/SUBSCRIPTION</b>	<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
1. Application Fees * (Received from candidates applied for courses)	3,17,882.27	3,17,882.00	19,91,638.80	19,91,639.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,17,882.00</b>		<b>19,91,639.00</b>

\* Out of total income of application fees of Rs. 13,64,523.27, Rs. 10,46,641/- has been transferred to salary head towards impact of 7<sup>th</sup> CPC.

<b>SCHEDULE 15- INCOME FROM INVESTMENTS</b>	<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
(Income on Invest. from Earmarked/ Endowment Funds Transferred to Funds)				
1. Interest	-	-	-	-
a) On Govt. Securities				
b) Other Bonds/Debentures				
2. Dividends:	-	-	-	-
a) On Shares				
b) On Mutual Fund Securities				
3. Rents	-	-	-	-
4. Others (Specify)	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

<b>SCHEDULE 16- INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION</b>	<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
1. Income from Royalty	-	-	-	-
2. Income from Publications	7,54,015.00	-	5,51,632.00	-
3. Others (Specify)	4,338.00	7,58,353.00	-	5,51,632.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,58,353.00</b>		<b>5,51,632.00</b>

<b>SCHEDULE 17- INTEREST EARNED</b>	<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
1. On Savings Accounts and Fixed Deposits:				
a) With Scheduled Banks-State Bank of India **	-	-	-	-
b) Interest on Corpus Fixed Deposit	-	-	5,02,718.00	5,02,718.00
2. On Other Receivables:				
a) Stipend	1,910.00	-	1,638.00	-
b) Motor Cycle Advance	2,529.00	4,439.00	2,529.00	4,167.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,439.00</b>		<b>5,06,885.00</b>

\*\* Interest earned on GIA General of Rs. 5,46,048/- considered as liability towards Ministry of AYUSH under Schedule 7, Current liabilities.

<b>SCHEDULE 18- OTHER INCOME</b>	<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
a) Recovery of Salary/Stipend	-	-	558.00	-
b) Miscellaneous Income	772.00	772.00	2,757.00	3,315.00
<b>TOTAL</b>		<b>772.00</b>		<b>3,315.00</b>



<b>SCHEDULE 19- INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS</b>	<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
a) Closing Stock of Ayurvedic Books published	2,03,594.00		1,45,109.00	
b) Less: Opening Stock of Ayurvedic Books Published	1,45,109.00	58,485.00	3,17,509.00	-1,72,400.00
<b>NET INCREASE/(DECREASE) [a-b]</b>		<b>58,485.00</b>		<b>-1,72,400.00</b>

<b>SCHEDULE 20- ESTABLISHMENT EXPENSES</b>	<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
<b>GIA General</b>				
a) Wages	21,55,317.00		11,06,628.00	
b) Scholarship/Stipend				
- Stipend to Shishyas	4,26,17,042.00		3,46,99,173.00	
c) Professional Services				
- Honorarium to Gurus	2,08,18,922.00		2,60,47,741.00	
- Auditors Remuneration/Professional Fees	2,87,730.00	6,58,79,011.00	1,72,640.00	6,20,26,182.00
<b>GIA Salary</b>				
a) Salary				
- Salary Expenses	66,87,713.68		38,33,730.90	
- Other Allowances	1,133.00		99,669.00	
- Employees' Retirement and Terminal Benefits	7,70,168.00	74,59,015.00	5,58,614.00	44,92,014.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,33,38,026.00</b>		<b>6,65,18,196.00</b>

<b>SCHEDULE 21 :OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.</b>	<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
<b>GIA General</b>				
a) Office Expenses				
- Bank Charges	4,370.10		9,061.55	
- Misc. Expenses	1,30,894.00		3,81,632.00	
- Medical Exp.	36,585.00		-	
- Repairs and Maintenance	64,027.00		99,399.00	
- Newspaper & Periodicals	8,052.00		10,812.00	
- Electricity and Power	2,66,870.00		2,38,340.00	
- Water Charges	39,533.00		61,756.00	
- Postage charges.	-		5,366.00	
- Telephone and Communication charges.	40,612.00		38,156.00	
- Rent, Rates and Taxes	9,98,421.00		10,61,493.00	
b) Publications				
- Discount Allowed	2,40,798.00		1,63,601.00	
- Printing & Stationery	5,09,751.00		2,09,599.00	
c) Domestic Travelling				
- Travelling and Conveyance Expenses	21,58,713.00		11,43,153.00	
d) Foreign Travelling				
- Travelling and Conveyance Expenses	4,24,330.00		41,950.00	
e) Other Administration Expenses				
- Thesis & Exam.	2,80,040.00		2,19,140.00	



Remun./S.C./Honorarium/Sitting Fees				
- National Ayurveda Day	17,12,782.00		21,07,918.00	
- Accreditation	6,15,834.00		5,38,706.00	
- Interactive Training Programme	4,40,774.00		-	
- Training Programme - Pune	4,72,043.00		-	
- Training Programme - Ahmedabad	3,82,704.00		-	
- Information Technology	14,36,966.00		-	
- Convocation Exp./Conference Exp.	17,93,645.00		30,66,095.00	
- Loss on sale of fixed assets	56,481.35		-	
<b>f) Advertisement &amp; Publicity</b>				
- Advertisement Exp.	18,23,104.00	13,937,329.00	5,56,308.00	99,52,486.00
<b>GIA General- Swachta Action Plan</b>				
- Swachta Action Plan	50,220.16	50,220.00	87,897.85	87,898.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,39,87,549.00</b>		<b>1,00,40,384.00</b>
<b><u>SCHEDULE 22 :EXPENDITURE ON GRANTS,SUBSIDIES ETC.</u></b>	<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
a) Grants Given to Institutions/Organisations	-		-	
b) Subsidies Given to Institutions/Organisations	-		-	
<b>TOTAL</b>		-		-

<b><u>SCHEDULE 23 : INTEREST</u></b>	<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
a) On Fixed Loans	-		-	
b) On other Loans (including Bank Charges)	-		-	
<b>TOTAL</b>		-		-


**RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2020**

AMOUNT  
(RS.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
<b>Opening Balance</b>	-		<b>I. Expenses</b>	-	
SBI General	99,86,555.59	44,97,228.34	a) Establishment Expenses (Schedule 20)	7,25,67,857.68	6,59,59,581.90
SBI Salary	13,24,004.80	6,43,036.00	b) Administrative Expenses (Schedule 21)	1,39,31,068.26	1,00,40,383.40
SBI General Swachh Bharat Abhiyan	1,12,102.15	48,16,433.70			
SBI Corpus	6,98,932.00	2,00,000.00	<b>II. Payments Made Against Funds For Various Projects</b>		
SBI Other Charges	1,15,447.60	2,46,645.30			
			<b>III. Investments &amp; Deposits Made</b>		
<b>II. Grants Received</b>	-		a) Out of Earmarked/Endowment funds	6,98,000.00	-
- From Min. of Health & Family Welfare	-				
a) General	5,71,54,000.00	9,48,00,000.00	<b>IV. Expenditure on Fixed Assets/Capital WIP</b>		
b) Salary	86,12,000.00	-	a) Purchase of Fixed Assets	14,000.00	42,902.00
c) Swachh Bharat Abhiyan	2,00,000.00	-	b) Expenditure on Capital WIP		
d) CME	6,00,000.00				
<b>III. Income on Investments from</b>			<b>V. Refund of Surplus Money/Loans</b>		
a) Sale of Fixed assets	29,000.00	-			
<b>IV. Interest Received</b>			<b>VI. Finance Charges (Interest)</b>		
a) Interest on Saving Bank A/c	5,46,048.00	13,61,633.00	<b>VII. Other Payments</b>		
b) Interest on Stipend recovered	1,910.00	1,638.00	a) Contingent & Other Advances	24,20,390.00	2,16,96,306.00
			b) Other Charges head	20,02,214.76	21,36,604.70
<b>V. Other Income</b>			c) Saving Bank Interest Refunded to Ministry	13,61,633.00	-
a) Recovery of Salary/Stipend	-	558.00	d) Advance to MACAO	41,990.00	-
b) Miscellaneous Income	772.00	2,757.00	e) Convocation Advances	-	7,81,952.00
			f) Earnest Money	-	27,185.00





c) Application Fees	3,17,882.27	19,91,638.80	h) Transfer to GIA A/c	-	7,80,907.00
d) Sale of Books	7,54,015.00	5,51,632.00			
e) Postal Income	4,338.00	-			
<b>VI. Amount Borrowed</b>			<b>Closing Balances</b>		
a) Earnest Money	-	11,000.00	SBI General	75,73,432.76	99,86,555.59
b) Contingent & Other Advances	2,12,69,262.00	17,91,305.00	SBI Corpus	7,71,100.00	6,98,932.00
c) Other Charges head	20,00,000.00	20,05,407.00	SBI Salary	23,90,685.12	13,24,004.80
d) Advance from NICSI	10,21,217.00	-	SBI General Swachh Bharat Abhiyan	2,61,881.99	1,12,102.15
e) Convocation Advances	-	7,81,952.00	SBI Other Charges	1,13,232.84	1,15,447.60
			SBI CME	6,00,000.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,04,747,486.41</b>	<b>1,13,702,864.14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,04,747,486.41</b>	<b>1,13,702,864.14</b>

Place : New Delhi  
Date : 23-06-2020

For Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth

DIRECTOR



**CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND**  
**BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2020**

AMOUNT (RS.)					
Liabilities		Amount	Assets		Amount
<b><u>CPF Subscription (Employees)</u></b>	-		<b><u>Balance with Bank</u></b>	-	
As per last year	32,21,732.00		In Fixed Deposit		62,02,186.00
Add: During the year	7,33,530.00		In Savings Account		7,80,799.00
Less: Withdrawal	2,69,736.00				
Add: Interest on Employees Subs.	2,71,008.00	39,56,534.00			
<b><u>CPF Contribution (Employers)</u></b>	-				
As per last year	25,54,312.00				
Add: During the year	3,37,450.00				
Less: Withdrawal	62,858.00				
Add: Interest on Employers Contribution	1,97,547.00	30,26,451.00			
<b>Total</b>		<b>69,82,985.00</b>	<b>Total</b>		<b>69,82,985.00</b>

**INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2020**

Expenditure		Amount	Income		Amount
Interest on Employees Subscription	2,71,008.00		Interest from Bank		15,031.00
Interest on Employers Contribution	1,97,547.00	4,68,555.00	Interest from FD		5,32,775.00
Employers Contribution		3,37,450.00	Contributed by RAV		2,58,199.00
<b>Total</b>		<b>8,06,005.00</b>	<b>Total</b>		<b>8,06,005.00</b>



**RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2020**

Receipts		Amount	Payments		Amount
<b>Opening Balances</b>					
CPF Subscription	32,21,732.00		Ms. Tannushri Bhardwaj		1,32,594.00
CPF Contribution	25,54,312.00	57,76,044.00	Ms. Deepa sood		2,00,000.00
Employees Subscription/Refund	7,33,530.00		<b>Closing Balance</b>		
Employer Contribution	3,37,450.00	10,70,980.00			
Interest on Employees Subscription	2,71,008.00		CPF Subscription	39,56,534.00	
Interest on Employer Contribution	1,97,547.00	4,68,555.00	CPF Contribution	30,26,451.00	69,82,985.00
<b>Total</b>		<b>73,15,579.00</b>	<b>Total</b>		<b>73,15,579.00</b>

For Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth

Place : New Delhi

DIRECTOR

Date : 23-06-2020



## **SCHEDULE-24 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**1. Accounting Convention**

The financial statement have been prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

**2. Inventory Valuation**

Inventories of Books are valued at cost.

**3. Fixed Assets**

i) Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of taxes, freight incidental and direct expenses related to acquisition.

ii) Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalised at value stated by corresponding credit to General Fund.

**4. Government Grants**

Government Grant in respect of purchase of fixed assets are treated as Grant Capitalized.

**5. Revenue Recognition**

i) Sale of books includes trade discount and rebate.

ii) Interest accrued on FDR has not been account for in books of accounts as the same is considered on maturity.

**6. Depreciation**

Depreciation on fixed assets is calculated as per rates prescribed by Income Tax Act.

**For RASHTRIYA AYURVEDA VIDYAPEETH  
DIRECTOR**

**Place : New Delhi**

**Date : 23-06-2020**



**SCHEDULE-25 : CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS****1. Current Liabilities**

Unutilised Grants for GIA General, GIA SAP, GIA Salaries and GIA CME has been shown under Current Liabilities.

**2. Current Assets, Loans and Advances**

The current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business equal at least to aggregate amount shown in the Balance Sheet.

3. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/re-arranged, wherever necessary.
4. Current Year Figures have been rounded off nearest to the rupees and Previous Year Figures have been taken as on 31.03.2020 so as to meet consistency.
5. Schedules 1 to 25 have been annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31.03.2020 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.
6. Recognition of fixed assets method has been changed from WDV method to Gross Block since Financial year 2011-12 and WDV as on 31.03.2010(before depreciation) considered as Gross block in Financial year 2011-12
7. Simple interest @ 10% is charged on motor cycle advance since 2007-08. Advance consists of principal amount of Rs. 25,292/- plus accrued interest of Rs. 29,711/- thereon.
8. Loans & advances under the head current assets of Rs. 13,30,962/- is still recoverable.
9. Postal expenses of Rs. 12,304/- has been adjusted against postal income under schedule no. 21(GIA General)
10. On account of Impact of 7th CPC, Rs. 10,46,641/- has been transferred from internal generations to salary expenses.
11. Total Liability during F.Y 2019-20 towards Retirement Corpus is Rs. 7,70,168/- has been transferred from GIA Salary.
12. Internal Generations of Rs. 1,34,485/- has been transferred to meet current year expenditures.

**For RASHTRIYA AYURVEDA VIDYAPEETH  
DIRECTOR**

**Place : New Delhi**

**Date : 23-06-2020**